

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2018—चैत्र 30, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2018

क्र. ई-5-486-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग को दिनांक 27 अप्रैल से 7 मई 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश

शासन, जेल एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क. ई-5-1056-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 25 अप्रैल से 3 मई 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2533

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2018

क्र. ई-5-592-आयएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. मनोज गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 9 से 20 अप्रैल 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 21, 22 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोज गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. मनोज गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोज गोविल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-609-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को दिनांक 23 अप्रैल से 5 मई 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 अप्रैल एवं 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती स्मिता भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे, आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. ई. 13-02-2018-5-एक.—राज्य शासन, निम्नलिखित भा. प्र. से., अधिकारियों को मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएस आफिसर्स (फेस-3 राउण्ड-13) दिनांक 9-4-2018 से 4-5-2018 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति के क्रम में प्रशिक्षण हेतु नामांकित अधिकारी की प्रशिक्षण अवधि उनके पद का प्रभार उनके नाम के समक्ष दर्शाये अधिकारी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद जिन्हें प्रशिक्षण में भाग लेना है।	अधिकारी का नाम एवं पद जिसे क्र. 2 में दर्शाए अधिकारी के पद का प्रभार सौंपा गया है।
(1)	(2)	(3)
1.	श्री नागरगोजे मदन विभीषण, भाप्रसे (2007), कलेक्टर, जिला दतिया।	श्री आशीष कुमार, भाप्रसे (2009), अपर कलेक्टर, जिला दतिया।
2.	श्री विशेष गढपाले, भाप्रसे (2008), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।	श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग।

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. ई. 5-1044-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री प्रीति यादव, भाप्रसे., सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 16 अप्रैल से 5 मई 2018 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ 14, 15 अप्रैल एवं 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रीति यादव, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री प्रीति यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रीति यादव, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्र. ई. 1-73-2018-5-एक.—श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा वि. क. अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. चंद्रशेखर, भाप्रसे (2002), सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को दिनांक 28 मई से 6 जून 2018 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-841-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को दिनांक 23 अप्रैल से 2 मई 2018 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 21, 22 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान

कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्र. ई. 1-60-2018-5-एक.—श्री संदीप यादव, भाप्रसे (2000) आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा आयुक्त, विमानन (अति. प्रभार) की सेवाएं अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर नियुक्ति के लिये विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी जाती है। साथ ही उन्हें पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) भी घोषित किया जाता है। साथ ही श्री संदीप यादव को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से पूर्ववत् सम्पादित करते रहेंगे।

(2) उपरोक्तानुसार श्री संदीप यादव भाप्रसे (2000) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियम 2016 के नियम 9 के अंतर्गत अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

• भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. ई-1-76-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजीव कुमार झा (1996) सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश.	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान.	संभागीय कमिश्नर
2	श्री राजेन्द्र सिंह (2002) सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग.	सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश.	-

(2) उपरोक्तानुसार श्री संजीव कुमार झा द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान (अति. प्रभार) केवल संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई. 5-819-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदारलाल शर्मा, आयएस. सचिव, गृह विभाग को नीचे उल्लेखित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

- दिनांक 9-4-2018 से 11-4-2018 तक 3 दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8-4-2018 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित.
- दिनांक 7-5-2018 से दिनांक 11-5-2018 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 6-5-2018 एवं दिनांक 12, 13-5-2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-613-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएस., पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक तथा प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग दिनांक 9 से

28 अप्रैल 2018 तक बीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 29, 30 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक का प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे, विकअ-सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक एवं प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक तथा प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे एवं श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. ई. 5-890-आयएस-लीव-5-एक.—श्री अनुराग चौधरी, आयएस., कलेक्टर, जिला सिंगरौली को समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 8 से 22 जुलाई 2017 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक बारह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2018

क्र. ई-5-1076-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ललित दाहिमा, आयएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग को दिनांक 5 से 9 मार्च 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री ललित दाहिमा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित दाहिमा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्र. ई-5-483-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. सिंह, आयएस., अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को दिनांक 31 मार्च से 5 अप्रैल 2018 तक छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. एफ 1(बी)60-17-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 7048/03/17/चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची के वरिष्ठता क्र. 36 (अनुक्रमांक 103413) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री मनीष बकावले, आत्मज श्री मगनलाल बकावले, 03, भाता भवन, नारायणदास कालोनी, विद्यान रोड, खरगौन, म. प्र. 451001 के संबंध में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्र. मेडि. बोर्ड/2017/11839, दिनांक 18 सितम्बर 2017 के साथ संलग्न प्राप्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में Unfit due to Height (160.7 c.m.) अंकित होने के कारण इनकी दिनांक 10 जनवरी 2018 को समक्ष में सुनवाई नियत की गई।

(2) श्री मनीष बकावले सुनवाई की नियत तिथि 10 जनवरी 2018 को उपस्थित नहीं हुये और उन्होंने आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर यह लेख किया है कि उन्हें सुनवाई से संबंधित विभाग का पत्र दिनांक 30 दिसम्बर 2017 दिनांक 12 जनवरी 2018 को प्राप्त हुआ अतः नियत दिनांक को में सुनवाई में उपस्थित होना संभव नहीं था. उन्होंने यह भी लेख किया कि स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में उनकी उंचाई में Marginal difference होने के कारण उन्हें पुनः स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाये।

(3) राज्य शासन मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 के नियम 8 (2) (क) में निर्धारित ऊंचाई 168 से. मी. या उससे अधिक (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिये) संबंधी प्रावधानों के विपरीत श्री मनीष बकावले की ऊंचाई 160.7 से. मी. अर्थात् निर्धारित मापदण्ड से कम होने एवं संभागीय चिकित्सा मण्डल, इंदौर द्वारा इस आधार पर इनके स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में इन्हें Unfit due to Height (160.7 c.m.) लेख किये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1-36-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, (विशेष पुलिस स्थापना) लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल को काठमांडू, नेपाल में ऑब्जरवर रिसर्च फाउंडेशन के एक दिवसीय कार्यशाला में (Fundamentals of Safety and security of radio active materials in India) पर दिनांक 5 अप्रैल 2018 को एक व्याख्यान देने हेतु दिनांक 4 से 7 अप्रैल 2018 तक चार दिवस अर्जित

अवकाश स्वीकृत करते हुए (Ex-India Leave/Tour) निजी/विशेष यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री संजय माने, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महानिदेशक, (विशेष पुलिस स्थापना) लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)107-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम को दिनांक 18 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 फरवरी 2018 व 02 से 04 मार्च 2018 तक के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)111-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 1 से 5 मार्च 2018 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1(ए)169-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2018 को निरस्त करते हुए श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 3 मार्च 2018 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 17-18 फरवरी 2018 एवं 04 मार्च 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ गृह जिला हॉफलॉग (असम) जाने हेतु खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में भारत सरकार लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञाप क्र. 14028/2/2009-स्थापना (छुट्टी) दिनांक 24 नवम्बर 2009 द्वारा जारी केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली-1972 के नियम 38-क की कंडिका-2 के अन्तर्गत 10 दिवस अवकाश नगदीकरण सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, का चालू कार्य श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कल्याण पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)253-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16-17 अप्रैल 2018 व दिनांक 19-20 अप्रैल 2018 के 04 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 18 व 21 अप्रैल 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वर्ड करते हुए) गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत लेह (कारगिल तक) भ्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

(2) डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री के. बाबूराव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. रंजीव कुमार गर्ग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1(ए)85-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री एन. पी. वरकड़े, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज रीवा को दिनांक 16 से 23 अप्रैल 2018 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अप्रैल 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत तिरुपति बालाजी परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भ्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री एन. पी. वरकड़े,	—	स्वयं
2. श्रीमती सुरुचि वरकड़े	—	पत्नी
3. कु. मोनिका वरकड़े,	—	पुत्री
4. धर्मराज वरकड़े	—	पुत्र

(2) श्री एन. पी. वरकड़े, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेन्ज रीवा की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. वरकड़े, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एन. पी. वरकड़े, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एन. पी. वरकड़े, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है यदि कि श्री एन. पी. वरकड़े, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)199-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 7 से 13 मार्च 2018 तक सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1(ए)142-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (काउंटर-असूचना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 9 से 13 अप्रैल 2018 तक वांशिगटन (यू.एस.ए.) में आयोजित “ATA-IN16SCMS011, Senior Crisis Management Seminar” में भाग लेने के उपरान्त दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2018 तक चार दिवस अर्जित अवकाश (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) श्री संजीव शमी, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा पु.मु. द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, (काउंटर-असूचना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजीव शमी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018

फा. क्र. 1-2018-इक्कीस-ब (एक) 1701.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री गिरीश कुमार शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आष्टा जिला सीहोर का धारणाधिकार के साथ त्यागपत्र आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2017 से स्वीकृत करने संबंधी आदेश क्रमांक 1-2017-इक्कीस-ब (एक) 2469 दिनांक 24/27 जून, 2017 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता, है.

फा. क्र. 1736-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री पदम चन्द्र गुप्ता, दसवें अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में विधिक सलाहकार के पद पर, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2018

क्र. एफ-8-2-2017-तेईस-यो.आ.सां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उपधारा 3 (ग) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4 (1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री अनिल कुमार मिश्रा	दमोह

क्र. एफ-8-2-2017-तेईस-यो.आ.सां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उपधारा 3 (ग) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4 (1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री धर्मेन्द्र चौहान	रायसेन
2	श्री भंवरलाल पटेल	रायसेन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ 03-02-2018-तीन-जेल.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 3 के खण्ड (1) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय जेल, सतना के परिसर में स्थित खुली कॉलोनी सतना को इस आदेश के जारी होने की तारीख से खुली जेल, सतना के रूप में घोषित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. एफ-3-24-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल की सूचना क्रमांक 6594-उपां-टी सी-रीवा-2017, दिनांक 19 दिसम्बर 2017 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बरा 394	8/1/2	1.129 हेक्टे.	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक)
2	बोदा 458	1225/2, 1226/2, 1228/2	0.902 हेक्टे.	आमोद-प्रमोद (उद्यान) एवं मार्ग.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं मार्ग.
कुल रकबा			2.031 हेक्टे.		

उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. बी-17-7-2018-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (2) सहपठित धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित कृषि उपज जो कि भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑन लाईन पोर्टल की प्रणाली के माध्यम से क्रय की जावेगी पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर की रुपये की दर के स्थान पर, प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये पचास पैसे की दर से, मण्डी फीस नियत करती है:

परन्तु इस प्रकार ऑन लाईन क्रय विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-5-2000-चौदह-3, दिनांक 10 नवम्बर 2000 की अनुसूची-एक में नियत की गई, विपणन विकास निधि मद अर्थात् "किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि" में मात्र पचास प्रतिशत राशि ही देय होगी. उक्त छूट केवल उन ही संव्यवहारों पर लागू होगी जहां पर उक्त नीलामी में न्यूनतम तीन व्यापारियों के द्वारा भाग लिया गया हो.

परन्तु इस प्रकार ऑन लाईन क्रय विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर नियत की गई मण्डी फीस में से छूट, समस्त क्रय-विक्रय संव्यवहारों में भुगतान उसी दिवस ई-नेम पोर्टल के माध्यम से करने पर ही प्राप्त होगी जिसका पाक्षिक विवरणी में पृथक् से उल्लेख करना आवश्यक होगा. इसका सत्यापन सचिव कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा किया जावेगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक के लिये प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. बी-17-7-2018-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal the 9th April 2018

No. B-17-7-2018-XIV-2.—In exercise of the powers conferred under the provision of sub-section (2) of Section 69 and subread with sub-section (1) of section 19 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of the year 1973) the State Government hereby, fixes the market fee at the rate of one rupees and fifty paise, per rupees hundred in place of rupees two per rupees hundred on the value of purchase transaction of notified agricultural produce through online portal of National Agricultural Market (N.A.M.), Government of India.

Provided that, from the market fee so fixed by the revision, on above transaction only fifty percent money shall be payable in proviso for marketing development fund defined in schedule (1) of this department notification number D-15-2000-XIV-3 dated 10th November 2000. as "Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund". Above fee revision will be applicable only on those transactions where a minimum of three trader participates in the online bid competitively. Provided also that, of, such online trading of notified agricultural produce, revised market fee will be exempted on only those transactions where payment shall be made on the same day, through E-NAM Portal which will be shown reflected separatory in fortnightly return. The verification of such payments will be done by Secretary of APMC.

This notification shall come into the force from the date of publication in "Gazette", untill further order.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. एफ-बी-17-7-2018-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (2) सहपठित धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिसूचना क्रमांक डी-15-24-2001-चौदह-3, दिनांक 8 अक्टूबर 2001 से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस अधिरोपित की गई है तथा केवल संतरों एवं केले के लिये मण्डी फीस दर प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से नियत की गई. राज्य सरकार के द्वारा कालान्तर में जारी विभिन्न अधिसूचनाओं से विनिर्दिष्ट मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर मण्डी फीस की उपरोक्त दरों को प्रभावशील किया गया है.

2. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) (यथा अधिकथित अधिनियम) की धारा 6 के द्वितीय परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1973 की धारा 2 (1)(क) की अनुसूची "आठ"- "सब्जियों" में उल्लेखित अधिसूचित कृषि उपज "प्याज" की उक्त अधिनियम की धारा 6 (ग) में प्रदत्त छूट को "प्याज" भावान्तर भुगतान योजना हेतु निर्धारित, कृषि मंडी क्षेत्रों से प्रत्याहृत करती है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, अधिसूचित कृषि उपज "प्याज" के विक्रय पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर के स्थान पर प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से मण्डी फीस नियत करती है:

परन्तु इस प्रकार अधिसूचित कृषि उपज "प्याज" पर नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-5-2000-चौदह-3, दिनांक 10 नवम्बर 2000 की अनुसूची-एक में नियत की गई, विपणन विकास निधि मद अर्थात् "किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि" में कोई राशि देय नहीं होगी.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. बी-17-8-2018-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal the 9th April 2018

No B-17-8-2018-XIV-2.—In exercise of the powers conferred under Sub-section n (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973) readwith Sub-section (1) of Section 19 tht State Government levied Market Fee at the-rate of two rupees for every one hundred rupees of the price of fruits and vegetables in the market area of the specified market committees and fixed the levy of market fee in the case of only oranges and bananas at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price by the notification vide D-15-24-2001-XIV-3 dated 08th October 2001. The State Government also enforced the above rate of market fee of the price on fruits and vegetables in the market area of the specified market committees time to time.

2. In exercise of the powers conferred by second proviso of Section 6 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (the Act), the State Government hereby withdraw the exemption in mandi area specified for Onion Bhawanter Bhugatan Yojana as provided under Section 6 clause (c) of the Act, for the notified agriculture produce "Onion" as defined in the Scheduie-VIII-Vegetable, of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, Section 2(l)(a).

3. In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 19 the State Govcmmnt hereby fix the market fee at the rate of one rupee in place of rupees two for every one hundred rupees of the price on sale of notified agricultuture produce onion.

Provided that, from the market fee so fixed by revision, no money shall be payable in proviso of this department's notification No. D-15-5-2000-XIV-3 dated 10th November 2000 that is the determined head of amount in Scheduled One, namely Vipanana Vikas Nidhi that is "Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund".

This notification shall come in to force from the date of pubication in "Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. S. DHURVE, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश*

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल
ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462 016

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2018

आगर विकास योजना 2041 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1919-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आगर विकास योजना 2041 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, आगर मालवा, जिला आगर मालवा
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् आगर मालवा

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आगर विकास योजना 2041.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	6 6	सारणी 6-सा-13 सारणी-6-सा-13	5 8	गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्यप्रदेश राजपत्र” में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं घडेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 6 अप्रैल 2018

सार्वजनिक सूचना

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 844-भू-अर्जन-2018-प्र.क्र.17 अ-82-2017-18.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12 नवम्बर 2017 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 14 नवम्बर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में मध्यप्रदेश की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमिधारकों की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कोटेश्वर (इमलीपाड़ा) जलाशय योजना अन्तर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

ग्राम—सरवड़, तहसील—रतलाम, जिला—रतलाम, लगभग क्षेत्रफल—100.13 हेक्टर पटवारी हल्का नं. 78

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्तियों का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मोहन पिता अम्बाराम जाति भील निवासी ग्राम सरवड़ भू-स्वामी. ग्राम सरवड़ तहसील व जिला जिला रतलाम पटवारी हल्का नं. 78.	480/3/1 487	0.000 0.610	0.800 0.000	0.800 0.610	
		योग . . 2	0.610	0.800	0.140	
2	सोहनबाई पति जगदीश जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/3/2	0.600	0.000	0.600	
3	शांतिबाई पति नाथू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/3/3	0.800	0.200	1.000	
4	भेरू पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/4/1 480/1/2	0.500 1.320	0.000 0.000	0.500 1.320	
		योग . . 2	1.820	0.000	1.820	
5	प्रकाश पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/4/2 480/1/1	0.500 1.320	0.000 0.000	0.500 1.320	
		योग . . 2	1.820	0.000	1.820	
6	राकेश पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/4/3 480/1/3 480/10	0.500 0.450 0.000	0.000 0.000 0.070	0.500 0.450 0.070	
		योग . . 3	0.950	0.070	1.020	
7	दिनेश पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/4/4 480/1/4	0.500 0.100	0.000 0.000	0.500 0.100	
		योग . . 2	0.600	0.000	0.600	
8	गोरधन पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/4/5	0.500	0.000	0.500	
9	रामलाल पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/4/6 480/1/8/2	0.500 0.150	0.000 0.000	0.500 0.150	
		योग . . 2	0.650	0.000	0.650	
10	दियाराम पिता सुखराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/6	1.800	0.200	2.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	सरजूबाई पति लालू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/11/1 480/3/4 480/15	0.500 0.600 0.600	0.000 0.000 0.000	0.500 0.600 0.600	
		योग . . 3	1.700	0.000	1.700	
12	रामा, रतन पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/11/2 480/13	0.500 0.800	0.000 0.200	0.500 1.000	
		योग . . 2	1.300	0.200	1.500	
13	गीताबाई पति मोहन जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/12	1.800	0.200	2.000	
14	धूलीबाई पति भेरा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/14	0.900	0.100	1.000	
15	शोभराम पिता सुखराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/17	0.000	1.000	1.000	
16	भेरू पिता कारी, समन्दी, सुगणा पिता पीरा, धन्नीबाई बेवा बाबू कमल, समरथ, परमेश, विष्णु, चन्द्रा पिता बाबू सन्जू ना. बा. पिता बाबू सर माता धन्नीबाई जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	481/1	0.600	0.100	0.700	
17	लालू पिता हिरा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	481/2	0.700	0.000	0.700	
18	कामेरी पति नानुराम, राम, रतन, रम्भा पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	489	2.500	0.330	2.830	
19	अम्बाराम पिता गंगाराम, रामूबाई, गेंदाबाई, यशोदा पिता गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	476/1/1	2.000	0.710	2.710	
20	अम्बाराम पिता गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	476/1/2	6.000	1.000	7.000	
21	नंदा, मांगू, सुखराम पिता नानुराम व बंधी पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम.	476/2	0.850	0.300	1.150	
22	राजाराम पिता पूंजा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	561/1 561/8	0.500 4.000	0.100 0.420	0.600 4.420	
		योग . . 2	4.500	0.520	5.020	
23	रतन, भागीरथ पिता देवा रामुबाई बेवा नाथू, दयाराम, चम्पालाल, जामुड़ी, पारखी पिता नाथू भील ग्राम भू-स्वामी.	561/2	3.000	0.700	3.700	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	राहुल, वालिग, श्रवण, निर्मला ना. बा. पिता शीवा ना.बा. सर माता रम्भाबाई-व रम्भाबाई बेवा शिवा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	561/3	5.000	1.000	6.000	
25	नंदा, अमरा पिता भेरा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	561/5 561/4	1.900 0.950	0.250 0.000	2.150 0.950	
		योग . . 2	2.850	0.250	3.100	
26	दयाराम पिता पूजा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	561/7 561/9 566/1	2.800 0.600 0.140	1.000 0.000 0.000	3.800 0.600 0.140	
		योग . . 3	3.540	1.000	4.540	
27	पूजा पिता चैना जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	560/1 562 567	0.660 0.000 0.000	0.000 0.170 0.270	0.660 0.170 0.270	
		योग . . 3	0.660	0.440	1.100	
28	धर्मेन्द्र, मुन्नालाल, सीमा पिता भेरू, गोरधन ना. बा. पिता भेरा सरपरस्त पिता भेरू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	560/2	0.400	0.000	0.400	
29	लीलाबाई पति जगदीश जाति भील निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	568/1/1	1.300	0.000	1.300	
30	विक्रम पिता रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	557/1 570/1/1	1.800 0.700	0.145 0.000	1.945 0.700	
		योग . . 2	2.500	0.145	2.645	
31	धर्मेन्द्र पिता रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	557/2 570/1/1/2	1.845 0.350	0.100 0.000	1.945 0.350	
		योग . . 2	2.195	0.100	2.295	
32	जगदीश पिता मथुरालालजी जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	570/1/2 568/1/3	4.800 2.650	0.200 0.470	5.000 3.120	मकान 01
		योग . . 2	7.450	0.670	8.120	
33	रतनसिंग पिता गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.	480/2/7	1.000	0.000	1.000	
34	बालू पिता अमरा जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.	480/2/6	1.333	0.000	1.333	
35	मांगीलाल पिता गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.	480/2/2	1.000	0.000	1.000	
36	पदमसिंह, रेखाबाई पिता गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.	480/2/5	1.000	0.000	1.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	जगदीश पिता गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.	480/2/4	1.000	0.000	1.000	
38	गिरधारी पिता अमरा जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.	480/2/3	1.333	0.000	1.333	
39	हुकुमसिंह पिता अमरा जाति बंजारा निवासी ग्राम जमुनिया भू-स्वामी.	480/2/1	1.334	0.000	1.334	
40	नंदा पिता नानुराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/5	1.300	0.300	1.600	
41	धन्नालाल पिता मथुरालाल जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	568/1/2	0.600	0.000	0.600	
42	अनिल पिता रामा, भंवरबाई, रेशमबाई बैवा रामा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	551/1 551/2/2	2.200 0.460	0.350 0.000	2.550 0.460	मकान 02
		योग . . 2	2.660	0.350	3.010	
43	समरथ पिता गणपत जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	551/4	0.000	0.310	0.310	
44	शांतिबाई बेवा बाबू, सोहनबाई बेवा बाबू, समरथ पिता बाबू, विनोद, मिथुन, ममता पिता बाबू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	551/7 में से 551/7 में से	0.100 0.500	0.150 0.400	0.250 0.900	
		योग . . 2	0.600	0.550	1.150	
45	रामप्रसाद, मुकेश, हिराबाई, संगीता पिता गिरधारी, पूंजीबाई बेवा गिरधारी जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	551/9/2	0.300	0.000	0.300	
46	राजू, रमेश पिता परथा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	551/10	0.200	0.350	0.550	
47	प्रभू पिता गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	551/15/2	0.000	0.350	0.350	
48	मानसिंग पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	490/26	0.500	0.000	0.500	
49	रामा पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.	490/37	0.080	0.120	0.200	
50	पूजा पिता भेरा, संतोष पति पूजा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	581/7	0.000	0.180	0.180	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51	रादू पिता भेरा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	581/9	0.000	0.170	0.170	
52	सावित्री पति शंभू जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.	488	0.450	0.000	0.450	
53	भूलीबाई पिता पन्ना जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	547/6/3/2	0.000	0.260	0.260	
54	मानसिंग पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.	547/6/3/1	0.000	0.250	0.250	
		553	0.000	0.100	0.100	
		555	0.150	0.000	0.150	
		558	0.220	0.000	0.220	
		योग . . 4	0.370	0.350	0.720	
55	गोपाल पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	568/2/1	0.050	0.000	0.050	
56	दिनेश पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	568/2/2	0.050	0.000	0.050	
57	सधा उर्फ सरदार पिता लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	492/2	1.150	0.000	1.150	
58	गणपत पिता कालू जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	547/5	0.220	0.000	0.220	
59	रामा पिता अमरा, भुलकी, भूरी, सुगना, जमना, गंगा पिता अमरा रामा पिता अम्बाराम, राजकी, सारदी पिता अम्बाराम, गीता बेवा नानुराम, रमेश, लीला, रामकन्या, सोहनी पिता नानुराम जाति भील निवासी भूमि-स्वामी.	556/2	0.320	0.000	0.320	
60	सीताबाई बैवा दशरथ, भेरू, जितेन्द्र, सीमा फूंदी बोडी पिता दशरथ जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/16/8	0.125	0.000	0.125	
		566/5/8	0.275	0.000	0.275	
		योग . . 2	0.400	0.000	0.400	
61	भागुड़ी बैवा बद्री, दिनेश, गोपाल, सीता, संगीता पिता बद्री जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/16/7	0.125	0.000	0.125	
		566/5/7	0.275	0.000	0.275	
		योग . . 2	0.400	0.000	0.400	
62	मोगजी पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/16/6	0.125	0.000	0.125	
		566/5/6	0.275	0.000	0.275	
		योग . . 2	0.400	0.000	0.400	
63	जगदीश पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/16/4	0.125	0.000	0.125	
		566/5/4	0.220	0.000	0.220	
		योग . . 2	0.345	0.000	0.345	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
64	आशाराम पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/16/5 566/5/5	0.125 0.275	0.000 0.000	0.125 0.275	
		योग . . 2	0.400	0.000	0.400	
65	रमेश पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/16/3 566/5/3	0.125 0.140	0.000 0.000	0.125 0.140	
		योग . . 2	0.265	0.000	0.265	
66	रतन पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/16/2 566/5/2	0.125 0.120	0.000 0.000	0.125 0.120	
		योग . . 2	0.245	0.000	0.245	
67	अमरीबाई विधवा नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	480/16/1 566/5/1	0.125 0.120	0.000 0.000	0.125 0.120	
		योग . . 2	0.245	0.000	0.245	
68	भेरु पिता कनीराम व विरदी बेवा कनीराम जाति भील निवासी ग्राम बिरमावल भू-स्वामी.	490/5	0.000	0.750	0.750	
69	सत्यनारायण पिता मानसिंग जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	570/1/3	0.000	1.000	1.000	
70	धन्ना पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.	566/4/2	0.300	0.000	0.300	
71	कालु पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.	566/4/3	0.300	0.000	0.300	
72	छोगा लाल पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.	566/4/4	0.300	0.000	0.300	
73	रामचन्द्र पिता थावर जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.	566/4/1	0.300	0.000	0.300	
74	सीताबाई पति गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.	551/12	0.300	0.500	0.800	
75	रेशमबाई पति मोहन जाति भील निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.	561/6	1.400	0.000	1.400	
76	रमेश, समरथ, पिता गणपत, सुहागबाई पति गणपत जाति भील निवासी ग्राम	551/2/1	0.000	0.210	0.210	
		महायोग . .	84.345	15.785	100.130	

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि ग्राम सरवड़ में कोटेश्वर (इमलीपाड़ा) तालाब योजना अन्तर्गत जल संसाधन विभाग म. प्र. के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण) कलेक्टर, कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम के कार्यालय में समय पर किया जा सकता है.

क्र. 846-भू-अर्जन-2018-प्र.क्र.16 अ-82-2017-18.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12 नवम्बर 2017 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 14 नवम्बर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में मध्यप्रदेश की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कोटेश्वर (इमलीपाड़ा) जलाशय योजना अन्तर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

ग्राम—बिरमावल, तहसील—रतलाम, जिला—रतलाम, लगभग क्षेत्रफल—57.86 हेक्टर

ग्राम बिरमावल तहसील व जिला रतलाम पटवारी हल्का नंबर 55/101

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्तियों का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अयोध्याबाई पिता भागीरथ जाति भील निवासी मजरा आमलीपाड़ा.	43	0.970	0.000	0.970	
2	नरसिंग पिता नंदा जाति भील निवासी सा. देह (अहस्तांतरणीय).	37/11	0.000	0.430	0.430	
3	सोमा पिता वरदा जाति भील निवासी ग्राम.	45	0.010	0.000	0.010	
		48/1	0.200	0.000	0.200	
		21/2	0.420	0.000	0.420	
		22/4	0.500	0.000	0.500	
		22/6	0.500	0.000	0.500	
		योग . . 4	1.710	0.000	1.710	
4	सुखराम पिता वरदा जाति भील नि. ग्राम.	22/7	0.550	0.000	0.550	
		21/3	0.410	0.000	0.410	
		22/3	0.500	0.000	0.500	
		योग . . 3	1.460	0.000	1.460	
5	हिरालाल पिता तुलसीराम जाति भील निवासी देह.	48/2/1	0.400	0.000	0.400	
6	गोविंद पिता तुलसीराम जाति भील निवासी देह.	48/2/2	0.850	0.000	0.850	
7	अवन्तिबाई पति गोविंद जाति भील निवासी ग्राम.	48/2/3	0.110	0.000	0.110	
8	राजेन्द्र पिता शोभाराम जाति भील निवासी ग्राम.	22/5	0.500	0.000	0.500	
9	भेरूलाल पिता शोभाराम जाति भील निवासी ग्राम.	22/2	0.500	0.000	0.500	
10	दितु पिता थावर, हरिराम नाथू सावित्रीबाई, बद्दीबाई पिता कोदर, राधीबाई पति कारू जाति भील निवासी देह.	20	0.050	0.000	0.050	
		39	1.080	0.000	1.080	
		योग . .	1.130	0.000	1.130	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	जमना बैवा दयाराम, बालू, गिरधारी, बद्री, भेरू, दशरथ, शांतिबाई, शामुड़ी हिराबाई,, रूखमाबाई पिता नानूराम, गीताबाई, अयोध्याबाई पति स्व. दयाराम जाति भील निवासी देह.	38 40 50	1.430 0.440 0.020	0.000 0.000 0.000	1.430 0.440 0.020	
		योग . . 3	1.890	0.000	1.890	
12	काली पिता शोभाराम, राजू, झमकु उर्फ रतनबाई, किशनी उर्फ विष्णुबाई, राधा, काली बालिका पिता कैलाश, राहुल, पूजा, आरती ना. बा. पिता कैलाश नाबालिक सरपरस्त मौसी किशनी जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय).	37/1	0.000	1.150	1.150	
13	सुखराम पिता नानुराम जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय).	37/2	0.000	1.150	1.150	
14	बददी बैवा कालू, गीता पिता कालू जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय).	37/3	1.150	0.000	0.150	
15	बाबु, शंभु व समदुड़ी पिता शवजी जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय).	37/4	0.000	1.150	1.150	
16	भेरूलाल, राजू, शारदाबाई पिता शंभूलाल, प्रताबबाई पति स्व. शंभूलाल, सुशीलबाई पति स्व. धूलजी, रवीना नाबा. पिता धूलजी नाबा, सरपरस्ती माता सुशीलाबाई, भेरूलाल, कलाबाई रेशमबाई, नंदीबाई पिता पूजा जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय).	37/5	0.000	1.150	1.150	
17	मांगू पिता घासी जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय).	37/6	1.150	0.000	1.150	
18	सुरजबाई पिता रूगनाथ जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय).	37/7	0.000	1.150	1.150	
19	शंकर पिता किशना जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय).	37/8	0.550	0.000	0.550	
20	कमला पति बद्रीलाल जाति भील निवासी देह.	37/8/2	0.600	0.000	0.600	
21	गणेश, छोगालाल, रामुड़ी पिता देवा जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय).	37/9	0.000	1.150	1.150	
22	शांतिबाई पिता तुलसीराम, धन्नी पिता भेरू जाति बलाई देह (अहस्तांतरणीय).	37/10	0.000	0.060	0.060	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	कालू, मोहन, ईश्वरलाल, रम्भाबाई पिता बद्दा, बगदीबाई, बेवा बद्दा, कैलाश, मोहन पिता गल्ला जाति भील निवासी देह.	18/7 1169/2	0.120 0.270	0.000 0.000	0.120 0.270	
		योग . . 2	0.390	0.000	0.390	
24	धापूबाई बैवा उदा जाति भील भू-स्वामी सा. देह.	18/8	0.530	0.000	0.530	
25	भेरू पिता पूजा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	15 17 26 28/2	0.110 0.000 1.230 0.070	0.000 0.260 0.000 0.000	0.110 0.260 1.230 0.070	
		योग . . 4	1.410	0.260	1.670	
26	शोभाराम पिता वरदा जाति भील निवासी देह.	21/1	0.260	0.000	0.260	
27	चुन्नीलाल पिता लच्छा जाति भील निवासी सा. देह.	22/1	0.930	0.000	0.930	
28	धूलजी पिता लच्छा जाति भील निवासी सा. देह.	22/8	0.940	0.000	0.940	
29	गणपत पिता लच्छा जाति भील निवासी सा. देह	22/9	0.930	0.000	0.930	
30	राजाराम पिता भेरूलाल जाति कुलंबी निवासी सा. देह.	1216/8 24/3	0.750 1.100	0.000 0.000	0.750 1.100	
		योग . . 2	1.850	0.000	1.850	
31	लक्ष्मी पति राजाराम जाति कुलम्बी निवासी सा. देह.	24/2	0.600	0.000	0.600	
32	कमलाबाई, कृष्णाबाई, रेखाबाई, संगीताबाई पिता मोहनलाल, पवित्राबाई बेवा मोहनलाल जाति कुलंबी निवासी ग्राम.	18/5	0.300	0.000	0.300	
33	पप्पुलाल पिता शांतिलाल जाति भील निवासी सा. देह.	25/2/1	0.350	0.000	0.350	
34	गेंदू पिता नराण जाति भील निवासी ग्राम	25/2/2	0.280	0.000	0.280	
35	पवन पिता रतन जाति भील निवासी ग्राम.	25/1/2	0.350	0.000	0.350	
36	पप्पु पिता गोरधन जाति भील निवासी ग्राम.	25/3/1	0.450	0.000	0.450	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	मुकेश पिता सुरजी जाति भील निवासी ग्राम.	25/3/2 25/4 योग . . 2	0.250 0.200 0.450	0.000 0.000 0.000	0.250 0.200 0.450	
38	भेरू पिता सुखराम, कमला, मांगुबाई पिता सुखराम जाति भील निवासी ग्राम सा. देह.	27	1.790	0.000	1.790	
39	तेजराम पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम उमरथाना.	28/3/1	0.650	0.000	0.650	
40	रामा पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम	28/3/2	0.650	0.000	0.650	
41	कैलाश पिता नाथा जाति भील निवासी ग्राम	28/3/3	0.000	0.650	0.650	
42	चम्पालाल पिता जवरा जाति भील निवासी ग्राम	33	0.420	0.000	0.650	
43	भेरू पिता शंभू, सुशीला बैवा धुलजी जाति भील निवासी ग्राम.	34/1	1.600	0.000	1.600	
44	राजेन्द्र पिता शंभु प्रतापी बैवा शंभु जाति भील निवासी ग्राम.	34/2	1.370	0.000	1.370	
45	रविना पिता धूलजी ना. बा. सरपरस्त माता सुशीला जाति भील निवासी ग्राम.	34/3	0.400	0.000	0.400	
46	मोहन पिता वरदा जाति भील निवासी ग्राम	1209 1210 योग . . 2	0.240 0.300 0.540	0.000 0.000 0.000	0.240 0.300 0.540	
47	दशरथ, नंदीबाई, कंचनबाई पिता थावर व मीराबाई बैवा थावर जाति भील निवासी सा. देह.	1208 1214 1159 योग . . 3	0.070 0.190 0.220 0.480	0.000 0.000 0.000 0.000	0.070 0.190 0.220 0.480	
48	नंदू मोती पिता थावर जाति भील निवासी सा. देह.	1211	0.190	0.000	0.190	
49	रामा पिता नाहरजी जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय).	1216/1	0.800	0.000	0.800	
50	रादू पिता उदा जाति भील निवासी सा. देह (अहस्तांतरणीय).	1216/2 1217/2 1218/2 1158/3 योग . . 4	0.000 0.000 0.050 0.000 0.050	0.800 0.000 0.000 0.190 0.990	0.800 0.000 0.050 1.040 1.040	
51	नंदू, मोती, आनन्दी पिता थावर व वरदी बैवा थावर जाति भील निवासी देह (अहस्तांतरणीय).	1216/3	0.760	0.000	0.760	
52	बगदीया पिता पूना जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय).	1216/4	0.000	0.800	0.800	
53	बगदीया पिता धन्ना जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय).	1216/5	0.000	0.800	0.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54	मोहन, सोमा, भागुड़ी पिता नारायण जाति भील सा. देह (अहस्तांतरणीय).	1216/6	0.400	0.400	0.800	
55	गंगाराम, बाबू, प्रकाश, संजू पिता शंभू हिस्सा 1/2 रामा पिता नंदा हिस्सा 1/2 जाति भील निवासी ग्राम (अहस्तांतरणीय).	1216/7	0.700	0.100	0.800	
56	अमृत पिता उदा जाति भील सा. देह	1217/1 1218/1 1206/1 1158/2	0.040 0.000 0.000 0.000	0.000 0.090 0.060	0.040 0.090 0.060	
		योग . . 4	0.040	0.150	0.190	
57	शोभाराम पिता रतन जाति भील सा. देह	1217/3 1218/3	0.050	0.000	0.050	
58	धापू पति रादू जाति भील निवासी ग्राम	1229/3	0.400	0.000	0.400	
59	वरदीचंद, तेजमल, प्रकाश, मोहनबाई, श्रीकांताबाई पिता मांगीलाल जाति महाजन सा. देह.	1234	0.800	0.000	0.800	
60	नल्लिनि देवी पति शोभाराम पुरोहित जाति ब्राह्मण निवासी डालूमोदीबाजार रतलाम.	1236	0.650	0.000	0.650	
61	कु. पूजा पिता पारसमल कोठारी निवासी 12 चांदनी चौक, रतलाम भू-स्वामी.	1240	1.800	0.000	1.800	
62	नरसिंग पिता लाला जाति भील सा. देह.	1233/2	0.000	0.040	0.040	
63	कलाबाई पिता नानूराम जाति भील सा. देह	1232	0.440	0.000	0.440	
64	भेरूलाल, मुन्नालाल, जानीबाई, मोहनबाई, पिता हरा, राजूबाई बेवा रामचंद्र, सीताराम, विधाबाई पिता रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम सिमलावदा.	1231 1143 1178	0.420 0.000 0.180	0.000 0.200 0.000	0.420 0.200 0.180	
		योग . . 3	0.600	0.200	0.800	
65	मोहन, सोमा, मांगुड़ी पिता नारायण व नंदी बैवा नारायण व हुरजी, गेंदी, सीता, नानुड़ी पिता थावर जाति सा. देह.	1141 1177 1150	0.800 0.370 0.000	0.000 0.000 0.200	0.800 0.370 0.200	
		योग . . 3	1.170	0.200	1.370	
66	शैलेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत सा. देह.	1144 1145 1146	0.160 0.160 0.180	0.000 0.000 0.000	0.160 0.160 0.180	
		योग . . 3	0.500	0.000	0.500	
67	रामा पिता नंदा जाति भील निवासी मजरा गुर्जरपाड़ा.	1181/1 1183/3	0.180 0.040	0.000 0.000	0.180 0.040	
		योग . . 2	0.220	0.000	0.220	
68	संजू पिता शंभू जाति भील निवासी मजरा गुर्जरपाड़ा.	1181/2 1183/4	0.180 0.040	0.000 0.000	0.180 0.040	
		योग . . 2	0.220	0.000	0.220	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69	अनिता पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम	1180/6	0.000	0.020	0.020	
		1179/3	0.000	0.060	0.060	
		योग . . 2	0.000	0.080	0.080	
70	शारदा पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम	1180/7	0.000	0.100	0.100	
71	मंजू पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम	1180/8	0.000	0.020	0.020	
72	बसंती पिता नागु जाति भील निवासी ग्राम	1180/1	0.000	0.060	0.060	
		1179/1	0.000	0.310	0.310	
		योग . . 2	0.000	0.370	0.370	
73	शंभू पिता मोती जाति भील सा. देह	1176	0.050	0.000	0.050	
74	नरेन्द्रसिंह, हरेन्द्रसिंह पिता रूपसिंग व कैलाश	1148/2	0.600	0.000	0.600	
	कुंवर बैवा रूपसिंह जाति राजपूत सा. देह.	1151/3	0.060	0.000	0.060	
		योग . . 2	0.660	0.000	0.660	
75	सुगन कुंवर पति सूर्यपालसिंह जाति राजपूत	1149	0.250	0.000	0.250	
	निवासी ग्राम.	1151/1	0.020	0.000	0.020	
		योग . . 2	0.270	0.000	0.270	
76	भूपेन्द्रसिंह पिता सूर्यपालसिंह जाति राजपूत	1151/4	0.110	0.000	0.110	
	सा. देह.					
77	शिवनारायण पिता ईश्वरलाल जाति कुलंबी	1154/1	0.960	0.000	0.960	
	निवासी ग्राम.	1153	1.120	0.000	1.120	
		योग . . 2	2.080	0.000	2.080	
78	भूरी पिता नागू जाति भील निवासी ग्राम	1212/1	0.010	0.000	0.010	
		1179/2	0.000	0.080	0.080	
		योग . . 2	0.010	0.080	0.090	
79	भंवरसिंह, भगवानसिंह पिता लालसिंह, समन्द	1151/2	0.300	0.000	0.300	
	कुंवर पिता लालसिंह जाति राजपूत सा. देह.					
80	मयलीबाई पति बाबू गोविन्द बा. गोपाल,	1158/1	0.000	0.080	0.080	
	घनश्याम नाबा, पिता बाबू नाबा. सरपरस्ती	1206/2	0.040	0.060	0.100	
	माता मयलीबाई जाति भील सा. देह.					
		योग . . 2	0.040	0.140	0.180	
81	गभीर पिता जवरा जाति भील सा. देह	1157/4	0.120	0.100	0.220	
82	मोहनलाल पिता वजेराम जाति कुलंबी सा. देह	1129/1	0.500	0.000	0.500	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83	कलाबाई पति गुलदीन, कृष्णाबाई पिता गुलदीन, कैलाशचन्द्र उर्फ शंभू पिता कालू जाति मेहतर (अहस्तांतरणीय).	1216/9	0.000	0.120	0.120	
84	धुलीबाई पति कालू जाति भील निवासी ग्राम	1229/2	0.000	0.050	0.050	
महायोग .		124	44.820	13.040	57.860	

- उपरोक्त कृषकों की भूमि ग्राम बिरमावल में कोटेश्वर (इमलीपाड़ा) तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.
- भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण) कलेक्टर कार्यालय, रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन संभाग, रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2018-848-प्र.क्र.15 अ-82-2017-18.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12 नवम्बर 2017 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 14 नवम्बर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में मध्यप्रदेश की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमिधारकों की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कोटेश्वर (इमलीपाड़ा) जलाशय योजना अन्तर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

ग्राम—जमुनिया, तहसील—रतलाम, जिला—रतलाम, लगभग क्षेत्रफल—11.05 हेक्टर

ग्राम जमुनिया तहसील व जिला रतलाम पटवार हल्का नंबर

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्तियों का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	देवीसिंग पिता चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	266/1	0.500	0.000	0.500	
2	रतन पिता मांगू जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	268/3	0.180	0.000	0.180	
3	रामलाल पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी.	295	0.000	0.250	0.250	
4	सोनी पिता दल्ला जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	297	0.000	0.150	0.150	
5	राजू पिता नारायण जाति भील निवासी उमरथाना भू-स्वामी.	299/5	0.000	0.180	0.180	
6	रामसिंग, कालूसिंग पिता गिरधारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी.	345	0.000	2.830	2.830	
7	कैलाश, शिवचरण, कालू राजेन्द्र पिता सरदार जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी.	346	0.000	0.560	0.560	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	करनसिंह, जगदीश पिता सरदार, ब्राह्ममणी बैवा सरदार, भूरीबाई, कारीबाई, पटलेन बाई पिता सरदार 1/2 भुवान पिता हिरा जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	347	0.850	0.000	0.850	
9	बापू पिता लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	348/3	0.850	0.000	0.850	
10	मदनलाल, हिरालाल पिता कमलसिंह गोपाल, शोभा, रेखा, संतोष (ना. बा.) पिता मोहनसिंग सपरस्त काका मदनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी.	351 352 355	0.240 0.750 1.020		0.240 0.750 1.020	
		योग . . 3	2.010	0.000	2.010	
11	दिनेश, जितेन्द्र, पदमा पिता दुर्गाशंकर, कमलाबाई बैवा दुर्गाशंकर जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	357	0.300	0.000	0.300	
12	ईश्वरसिंह, चमनसिंह, पिता करणसिंह, राजूबाई पिता करणसिंह मैनाबाई बैवा करनसिंह, मैनाबाई बैवा करनसिंह, लक्ष्मण, कैलाश पिता विशेन जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	358	0.020	0.000	0.020	
13	बालाराम, गिरधारी, हाकमसिंह, कमला, रेखा पिता अमरा व जमनीबाई बैवा नरभेसिंह व भल्ली, गुन्नी पिता परथा मांगीलाल, जगदीश, रतन, पदमसिंग, शांतिबाई, सोहदाबाई, इन्द्राबाई, संचीबाई पिता गंगाराम व गौरीबाई बैवा गंगाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	365 367	0.000 0.000	0.040 0.060	0.040 0.060	
		योग . . 2	0.000	0.100	0.100	
14	सरदार पिता मेधा बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	363/23	0.660	0.000	0.660	
15	दिलीप पिता धनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी.	363/25	0.400	0.000	0.400	
16	वज्रेसिंह पिता मांगू बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	363/22	0.550	0.000	0.550	
17	उकारं पिता मांगू बंजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	363/24	0.660	0.000	0.660	
	महायोग . .		6.980	4.070	11.050	

- उपरोक्त कृषकों की भूमि ग्राम जमुनिया में कोटेश्वर (इमलीपाड़ा) तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग म. प्र. के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.
- भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण) कलेक्टर कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2018

क्र. 2215-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री आशीष तिवारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	श्री आशीष सांगवान	भारतीय प्रशासनिक सेवा
3	श्री किरोडीलाल मीणा	भारतीय प्रशासनिक सेवा
4	श्री गौरव बेनल	भारतीय प्रशासनिक सेवा
5	सुश्री जयति सिंह	भारतीय प्रशासनिक सेवा
6	श्री दिलीप कुमार यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
7	सुश्री पूजा राय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
8	श्री सिद्धार्थ जैन	भारतीय प्रशासनिक सेवा
9	श्री सुनील राणा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
10	डॉ. सुरेखा यादव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
11	श्री स्वपनिल वानखडे	भारतीय प्रशासनिक सेवा
12	श्री हरेन्द्र नारायण	भारतीय प्रशासनिक सेवा
13	श्री अंशुल गुप्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र. 2215-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा

के 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री आशीष तिवारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	श्री आशीष सांगवान	भारतीय प्रशासनिक सेवा
3	श्री किरोडीलाल मीणा	भारतीय प्रशासनिक सेवा
4	श्री गौरव बेनल	भारतीय प्रशासनिक सेवा
5	सुश्री जयति सिंह	भारतीय प्रशासनिक सेवा
6	सुश्री ज्योति जाटव	नायब तहसीलदार
7	श्री दिलीप कुमार यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
8	सुश्री पूजा राय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
9	श्री रविन्द्र सिंह चौहान	नायब तहसीलदार
10	सुश्री रूपेश्वरी कुंजाम	नायब तहसीलदार
11	सुश्री शिवानी श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
12	श्री सिद्धार्थ जैन	भारतीय प्रशासनिक सेवा
13	डॉ. सुरेखा यादव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
14	श्री स्वपनिल वानखडे	भारतीय प्रशासनिक सेवा
15	श्री हरेन्द्र नारायण	भारतीय प्रशासनिक सेवा
16	श्री अंशुल गुप्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा
17	श्री अनुराग उइके	नायब तहसीलदार

क्र. 2215-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री आशीष तिवारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	श्री आशीष सांगवान	भारतीय प्रशासनिक सेवा
3	श्री किरोडीलाल मीणा	भारतीय प्रशासनिक सेवा
4	श्री गौरव बेनल	भारतीय प्रशासनिक सेवा
5	सुश्री जयति सिंह	भारतीय प्रशासनिक सेवा
6	श्री दिलीप कुमार यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
7	सुश्री रत्नराशि पाण्डेय	नायब तहसीलदार
8	श्री सिद्धार्थ जैन	भारतीय प्रशासनिक सेवा
9	श्री अंशुल गुप्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र.2215-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर.सी.वी. पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया—में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री आशीष तिवारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	श्री आशीष सांगवान	भारतीय प्रशासनिक सेवा
3	सुश्री जयति सिंह	भारतीय प्रशासनिक सेवा
4	श्री दिलीप कुमार यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
5	श्री संजय यादव	नायब तहसीलदार
6	श्री सिद्धार्थ जैन	भारतीय प्रशासनिक सेवा
7	श्री स्वपनिल वानखडे	भारतीय प्रशासनिक सेवा
8	श्री हरेन्द्र नारायण	भारतीय प्रशासनिक सेवा
9	श्री अंशुल गुप्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र.2215-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर.सी.वी. पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन)—में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री आनंद सिंह राजावत	उप जिलाध्यक्ष
2	श्री आशीष तिवारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा
3	श्री आशीष सांगवान	भारतीय प्रशासनिक सेवा
4	श्री ओमनारायण सिंह बडकुल.	उप जिलाध्यक्ष
5	सुश्री कल्पना शर्मा	नायब तहसीलदार
6	सुश्री जयति सिंह	भारतीय प्रशासनिक सेवा
7	श्री दिलीप कुमार यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
8	सुश्री नदीमा शीरी	उप जिलाध्यक्ष
9	सुश्री निधि सिंह गोहल	उप जिलाध्यक्ष

(1)	(2)	(3)
10	श्री नीरज कालमेघ	नाब तहसीलदार
11	श्री नीलेश कुमार शर्मा	उप जिलाध्यक्ष
12	सुश्री प्रीति यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
13	श्री मनीष कुमार जैन	उप जिलाध्यक्ष
14	श्री संजय कुमार	उप जिलाध्यक्ष
15	श्री संजय यादव	नायब तहसीलदार
16	श्री सिद्धार्थ जैन	भारतीय प्रशासनिक सेवा
17	श्री सुनील राणा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
18	श्री स्वपनिल वानखडे	भारतीय प्रशासनिक सेवा
19	श्री हरेन्द्र नारायण	भारतीय प्रशासनिक सेवा
20	श्री अंशुल गुप्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र.2215-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर.सी.वी. पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. सिविल विधि तथा प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री आशीष तिवारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	श्री आशीष सांगवान	भारतीय प्रशासनिक सेवा
3	श्री किरोडीलाल मीणा	भारतीय प्रशासनिक सेवा
4	श्री गौरव बेनल	भारतीय प्रशासनिक सेवा
5	सुश्री जयति सिंह	भारतीय प्रशासनिक सेवा
6	श्री दिलीप कुमार यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
7	सुश्री प्रीति यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
8	श्री सिद्धार्थ जैन	भारतीय प्रशासनिक सेवा
9	श्री स्वपनिल वानखडे	भारतीय प्रशासनिक सेवा
10	श्री हरेन्द्र नारायण	भारतीय प्रशासनिक सेवा
11	श्री अंशुल गुप्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र.2215-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर.सी.वी. पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार

भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—1. लेखा एवं वित्त-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री अखिल राठौर	उप जिलाध्यक्ष
2	श्री आशीष तिवारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा
3	श्री आशीष सांगवान	भारतीय प्रशासनिक सेवा
4	श्री किरोडीलाल मीणा	भारतीय प्रशासनिक सेवा
5	श्री गौरव बेनल	भारतीय प्रशासनिक सेवा
6	सुश्री जयति सिंह	भारतीय प्रशासनिक सेवा
7	श्री दिलीप कुमार यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
8	सुश्री प्रीति यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
9	सुश्री वंदना राजपूत	उप जिलाध्यक्ष
10	श्री सिद्धार्थ जैन	भारतीय प्रशासनिक सेवा
11	श्री स्वपनिल वानखडे	भारतीय प्रशासनिक सेवा
12	श्री हरेन्द्र नारायण	भारतीय प्रशासनिक सेवा
13	श्री अंशुल गुप्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र.2215-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर.सी.वी. पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—1. म. प्र. स्थानीय शासन-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री आशीष तिवारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	श्री आशीष सांगवान	भारतीय प्रशासनिक सेवा
3	श्री किरोडीलाल मीणा	भारतीय प्रशासनिक सेवा
4	श्री गौरव बेनल	भारतीय प्रशासनिक सेवा
5	सुश्री जयति सिंह	भारतीय प्रशासनिक सेवा
6	श्री दिलीप कुमार यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
7	सुश्री प्रीति यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा

(1)	(2)	(3)
8	सुश्री सलोनी सिडाना	भारतीय प्रशासनिक सेवा
9	श्री सिद्धार्थ जैन	भारतीय प्रशासनिक सेवा
10	श्री स्वपनिल वानखडे	भारतीय प्रशासनिक सेवा
11	श्री हरेन्द्र नारायण	भारतीय प्रशासनिक सेवा
12	श्री अंशुल गुप्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र.2215-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर.सी.वी. पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—1. प्रकरण अध्ययन-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री आशीष तिवारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	श्री आशीष सांगवान	भारतीय प्रशासनिक सेवा
3	श्री किरोडीलाल मीणा	भारतीय प्रशासनिक सेवा
4	श्री गौरव बेनल	भारतीय प्रशासनिक सेवा
5	सुश्री जयति सिंह	भारतीय प्रशासनिक सेवा
6	सुश्री प्रीति यादव	भारतीय प्रशासनिक सेवा
7	श्री सिद्धार्थ जैन	भारतीय प्रशासनिक सेवा
8	श्री स्वपनिल वानखडे	भारतीय प्रशासनिक सेवा
9	श्री हरेन्द्र नारायण	भारतीय प्रशासनिक सेवा
10	श्री अंशुल गुप्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र.2215-नोअविप-विपप्र-2017-2018.—आर.सी.वी. पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 से 21 मार्च, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—1.-हिन्दी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री स्वपनिल वानखडे	भारतीय प्रशासनिक सेवा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार यादव, नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-5-1-2017-सात-(एक)

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2018

राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.16 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परन्तुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू-राजस्व का पुर्ननिर्धारण किया जाना

1. सेवा का उद्देश्य.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 भूमि का व्यपवर्तन की उपधारा (1) के परन्तुक द्वितीय एवं तृतीय के अधीन अधिसूचित सेवा क्रमांक 4.16 में यह प्रावधान है कि—

उपधारा (1) परन्तुक द्वितीय—

यदि किसी ऐसी भूमि का जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए आरक्षित की गई है, किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है जिसके लिए वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखण्ड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है।

उपधारा (1) परन्तुक तृतीय—

यदि किसी ऐसी भूमि का जो कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई है, भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को उद्योग के प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है और ऐसी भूमि विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित हो, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखण्ड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है।

2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा—उपरोक्त मामलों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत भू-राजस्व के पुर्ननिर्धारण के लिए 30 दिन की कार्यवाही नियत करते हुए लोक सेवा गारंटी दी जाए।

3. आवेदन पत्र का प्रारूप—आवेदन का प्रारूप-एक संलग्न है। जिसमें सेवा क्र. 4.16 के परन्तुक द्वितीय एवं तृतीय के संबंध में उल्लेख है।

4. पात्रता की शर्तें—भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 की उपधारा (1) में भूमिस्वामी को जिसका नाम भू-अभिलेख में प्रविष्ट हो, व्यपवर्तन करने के लिए पात्र होगा।

5. आवश्यक दस्तावेज—खसरा या खतौनी की नकल, ऋण पुस्तिका की छायाप्रति, व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि का नक्शा।

6. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—

1. आवेदन साफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के आपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
2. आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे।

3. ऑनलाईन आवेदन करते समय कियोस्क पर आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाइस से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी.
4. ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्ट आउट निकालकर प्रिन्ट आउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा. इस तरह प्राप्त यह हार्डकॉपी, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रति सोमवार (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) को विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा.
5. ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी. पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा साफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी, अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा. आवेदन जमा होने के बाद पावती पर आपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी.
6. लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में आनलाईन उपलब्ध हो जाएगा एवं लोक सेवा केन्द्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी को 24 घंटे के भीतर आवेदन निराकरण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा.
7. पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कंडिका-7 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र समय-सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदाय करेगा.
8. सेवा प्रदाय करने के लिए सेवा प्रदाय संबंधी सूचना पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता है. अतः पदाभिहित अधिकारी को स्याही से हस्ताक्षरित पत्र लोक सेवा केन्द्र पर भेजने की आवश्यकता है.
9. लोक सेवा केन्द्र आपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजीटली साईन रिपाजटरी (www.mpedistrict.gov.in) प्रिन्ट आउट निकालकर दिया जायेगा एवं पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा.

“प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिन्टआउट वेबसाइट (www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकाला गया है.”

7. **आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया.**—लोक सेवा केन्द्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन निराकरण हेतु उपलब्ध होने पर इस हेतु नियत अवधि के भीतर पदाभिहित अधिकारी (उपखंड अधिकारी) प्रकरण का मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए निराकरण करेगा.

8. **शुल्क.**—लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क रु. 30/- भी जमा करना होगा.

9. **अपील.**—आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा.

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर, अपील निम्नानुसार की जा सकेगी.

सेवा क्र.	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.16	म. प्र. भू-राजस्व, संहिता, 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परंतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त, संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू-राजस्व का पुर्ननिर्धारण किया जाना.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

प्रारूप-एक

प्रति,

प्रभारी,

लोक सेवा केन्द्र,

.....

जिला

मध्यप्रदेश.

विषय:—राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.16 म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 की उपधारा (1) के द्वितीय / तृतीय परंतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त, संहिता की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू-राजस्व का पुर्ननिर्धारण किये जाने बावत्.

सेवा में,

निवेदन है कि आवेदक राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.16 म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक द्वितीय / तृतीय के अनुसार व्यपवर्तन की सेवा चाहता हूं. इस हेतु मेरे द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिलाको आवेदन दिनांकसे लिखित जानकारी प्रेषित की जा चुकी है. जिसकी छायाप्रति संलग्न है.

अतः संहिता की धारा 59 के अंतर्गत 30 दिन से भू-राजस्व का पुर्ननिर्धारण कराये जाने का कष्ट करें.

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पता

मोबा.

क्र. एफ-6-16-2018/सात-नजूल

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल 2018

भोपाल रियासत से संबंधित मर्जर एग्रीमेन्ट दिनांक 30-04-1949 से संबंधित बिन्दुओं पर निर्देश

1. भोपाल रियासत एवं भारत संघ के मध्य निष्पादित मर्जर एग्रीमेन्ट दिनांक 30-04-1949 के अंतर्गत नवाब द्वारा निजी तौर पर धारित अचल संपत्ति आदि की एक अनुसूची तैयार की गई थी. इस अनुसूची में उल्लेखित नवाब की नजी संपत्ति के अतिरिक्त भोपाल रियासत की अन्य समस्त संपत्तियां पूर्ववत शासन की संपत्तियां स्वयमेव शासन में वेष्टित हो गयी थी, किन्तु यह अन्य संपत्तियां भी शासन के बजाए परिवार के नाम पर दर्ज बनी रही.

2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक डब्लू पी 6054/2001 में याचिकाकर्ता द्वारा नवाब भोपाल के नाम पर धारित जो संपत्तियां सरकार की संपत्ति के रूप में मान्य की गई थीं, उनके अवैधानिक अन्तरण को रोकने और विधि अनुसार शासन का कब्जा स्थापित करने हेतु राज्य सरकार को यथोचित निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया था.

3. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा उक्त याचिका में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-01-2002 के अनुसार — "Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Revenue, Vallabh Bhawan, Bhopal is directed to hold an enquiry in the whole matter, find out why the property was not recorded in the name of State of MP and why action was not taken to protect it. Reply of the petition shall be filed by Principal Secretary, Department of Revenue, Govt. of MP under his affidavit along with the report, as directed above. The reply will also spell out the action taken in the matter. Further, respondent-1 is directed not to allow any sale, alienation, encroachment or interference with this property by any one and to take all actions that may be necessary by issuing orders to his officers".

4. उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 16-01-2002 के अनुपालन में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कार्यालय कलेक्टर (नजूल), भोपाल के पत्र क्रमांक 3394/नजूल/02, दिनांक 23-03-2002 के द्वारा नवाब भोपाल से संबंधित 13 ग्रामों की भूमियों के संबंध में हस्तांतरण, विक्रय एवं अन्य प्रकार के अंतरण तथा भूमि के किसी भी प्रकार के स्वत्व परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया था.

5. इसके पश्चात प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 06-04-2002 में मर्जर एग्रीमेन्ट में उल्लिखित नवाब की व्यक्तिगत संपत्ति के अतिरिक्त कतिपय भूमियों को शासन की भूमि मान्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया था. प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8 के अनुसार—"If this conclusion is upheld by the Hon'ble Court then the Government could take a decision about either re-entering the land (involving demolition etc.) or of settling the land on the persons presently in possession by levying the present prescribed premium, rent etc. In case any of the lands is open/vacant land, it should be reflected as Government property and allowed to remain as open land under Government ownership".

6. उक्त याचिका में पारित अंतिम आदेश दिनांक 31-08-2004 के अनुसार—"If there has been an illegal alienation of the Government property, it is for the Government to take appropriate steps to redeem the same. Thus, the rights of the third parties whether, trespassers or not, cannot be decided in this writ petition much less in the petition filed as Public Interest Litigation. We are, therefore, of the considered view that parties should be left free to seek relief in the appropriate Forum provided by law. The State is, therefore, left free to take recourse to such action as is permissible in law to recover its property if the same as been encumbered, encroached or otherwise alienated.".

7. कलेक्टर, भोपाल द्वारा 8 ग्रामों से संबंधित भूमियों के प्रकरण क्रमांक 01/स्व.निग./2007-08 से लगायत 08/स्व. निग./2007-08, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत स्वयमेव निगरानी में दर्ज किये गये. इसके अतिरिक्त 109 प्रकरणों को विभिन्न राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनर्विलोकन में लिया गया है.

8. कलेक्टर, भोपाल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 370/लिटि/एफ/2017, दिनांक 24-03-2017 द्वारा नवाब भोपाल से संबंधित 13 ग्रामों की भूमियों के संबंध में हस्तांतरण, विक्रय एवं अन्य प्रकार के अंतरण तथा भूमि के किसी भी प्रकार के स्वरूप परिवर्तन को प्रतिबंधित किया जाना सुनिश्चित करने के पुनः निर्देश जारी किए गए.

9. अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:—

i. कलेक्टर, भोपाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के हस्तांतरण, विक्रय, अंतरण तथा स्वत्व परिवर्तन को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी आदेश क्रमांक 3394/नजूल/2002 दिनांक 23-03-2002 तथा आदेश क्रमांक 370/लिटि/एफ/2017 दिनांक 24-03-2017 माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक WP 6054/2001 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-01-2002 के अनुपालन में जारी किये गये थे, जबकि दिनांक 31-08-2004 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, अतः कलेक्टर भोपाल के उक्त दोनों आदेशों को निष्प्रभावी माना जाए.

ii. कलेक्टर, भोपाल द्वारा 8 ग्रामों से संबंधित भूमियों के प्रकरण क्रमांक 01/स्व.निग./2007-08 से लगायत 08/स्व. निग./2007-08, मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत स्वयमेव निगरानी में, मात्र खसरा प्रविष्टि के आधार पर दर्ज किये गये हैं, जबकि संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत निगरानी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के किसी आदेश के संबंध में ही की जा सकती है. इसके अतिरिक्त विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5996 माह मार्च, 2017 में प्रस्तुत किये गये उत्तर के अनुसार 109 प्रकरणों को राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनर्विलोकन में लिया गया है.

उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसी सभी भूमियों के मामलों में, जिनके विवरण परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं तथा जो आज भी भू-अभिलेखों में निजी दर्ज हैं (उन भूमियों को छोड़कर जिन पर शासकीय अस्पताल, शासकीय गेस्ट हाउस, शासन के निकायों/उपक्रमों आदि के अथवा सार्वजनिक प्रयोजनों के निर्माण हो चुके हैं अथवा जो सार्वजनिक उपयोग में हैं), भू-अभिलेखों में यथोचित संशोधन रोके नहीं जाएं.

iii. मर्जर एग्रीमेंट से संबंधित भूमियों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों (सिविल/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय आदि) में लंबित प्रकरणों में कंडिका (i), (ii) में उल्लेखित उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश से परामर्श कर शासन का यथोचित पक्ष समर्थन किया जाए.

iv. जिन प्रकरणों में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत भूमि पर शासन का दावा प्रस्तुत किया गया है, उनमें शासन के हित में हद पक्ष समर्थन किया जाए.

11. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 का अंश भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट-1

ग्राम बेहटा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.मै)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.मै)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.मै)
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	1/1 में से	0.033	37	6/1 में से	0.036	73	9/3/3	0.049 ✓
2	1/1 में से	0.028	38	6/1 में से	0.012	74	9/3/4	0.093 ✓
3	1/2/1	0.025	39	6/1 में से	0.036	75	9/3/5/1 में से	0.044 ✓
4	1/2/2	0.025	40	6/2	0.012	76	9/3/5/2/1	0.049 ✓
5	1/3/1	0.109	41	6/3/1 में से	0.117	77	9/3/5/2/2 में से	0.024 ✓
6	1/3/2/1	0.053	42	6/3/2/1	0.057	78	10/1	0.004 ✓
7	1/3/2/2	0.069	43	6/3/2/2	0.065	79	10/2	0.037 ✓
8	1/3/3क	0.101	44	6/3/3 में से	0.137	80	10/3/1	0.073 ✓
9	1/3/3ख	0.101	45	6/3/3 में से	0.089	81	10/3/2	0.073 ✓
10	1/3/4क	0.101	46	6/3/4	0.004	82	10/3/3	0.045 ✓
11	1/3/4ख	0.101	47	6/3/5/1	0.093	83	10/3/4/1	0.020 ✓
12	1/3/5	0.198	48	6/3/5/2	0.053	84	10/3/4/2/1	0.045 ✓
13	1/3/6/1	0.053	49	6/3/5/3/1	0.008	85	10/3/4/2/2 में से	0.216 ✓
14	1/3/6/2/1	0.101	50	6/3/5/3/2/1	0.004	86	10/3/4/2/2 में से	0.045 ✓
15	1/3/6/2/2/1	0.036	51	6/3/5/3/2/2 में से	0.053	87	11/1/1	0.020 ✓
16	1/3/6/2/2/2	0.214	52	7/1/1	0.133	88	11/1/2/1	0.202 ✓
17	1/3/6/2/2/3 में से	0.124	53	7/1/2	0.145	89	11/1/2/2	0.028 ✓
18	1/3/6/2/2/3 में से	0.101	54	7/1/3/1	0.121	90	11/1/2/3/1	0.028 ✓
19	4 में से	0.117	55	7/1/3/2	0.025	91	11/1/2/3/2/1	0.065 ✓
20	5/1 में से	0.113	56	7/2/1	0.040	92	11/2/1 में से	0.008 ✓
21	5/1 में से	0.121	57	7/2/2/1	0.101	93	11/2/1 में से	0.012 ✓
22	5/2, 6/1 में से	0.032	58	7/2/2/2	0.057	94	11/2/2/1	0.020 ✓
23	5/2 में से	0.028	59	7/2/2/3 में से	0.040	95	11/2/2/3/1	0.008 ✓
24	5/2 में से	0.020	60	8/1/2/1	0.012	96	11/2/2/3/2/1	0.028 ✓
25	5/3 में से	0.069	61	8/1/2/2	0.053	97	11/2/2/3/2/2	0.028 ✓
26	5/3 में से	0.072	62	8/1/2/3/2	0.065	98	12/1	0.004 ✓
27	5/4/1	0.069	63	8/1/2/3/3 में से	0.055	99	12/2/1	0.036 ✓
28	5/4/2	0.073	64	8/1/1 में से	0.012	100	12/2/2/1	0.096 ✓
29	5/5 में से	0.101	65	8/1/1 में से	0.028	101	12/2/2/2	0.057 ✓
30	5/5 में से	0.137	66	8/2/2/1	0.069	102	12/2/2/3/1	0.065 ✓
31	5/6/1	0.045	67	8/2/2/2/2 में से	0.022	103	12/2/2/3/2 में से	0.213 ✓
32	5/6/2	0.049	68	8/2/2/2/2 में से	0.046	104	13/1	0.008 ✓
33	5/6/3/1	0.121	69	9/1 में से	0.024	105	13/2 में से	0.712 ✓
34	5/6/3/2/1	0.057	70	9/1 में से	0.037	106	15/1/1	4.240 ✓
35	5/6/3/2/2	0.277	71	9/2	0.012	107	15/1/2 में से	0.016 ✓
36	6/1 में से	0.061	72	9/3/2	0.093	108	15/1/2 में से	0.026 ✓

109	15/1/2 में से	0.025	145	48/1	0.749	181	131/2	0.328 ✓
110	15/1/2 में से	0.026	146	48/2	0.061	182	132/1	0.267 ✓
111	15/2	0.049	147	49/1/2 में से	0.559	183	133क/1	0.142 ✓
112	15/3	0.101	148	49/2/2	0.161	184	133ख	0.198 ✓
113	19/1/2/2	2.772	149	49/2/3	0.040	185	133ग	0.388 ✓
114	19/2/1/2, 23/1	0.401	150	50	0.433	186	134	0.077 ✓
115	19/4, 20/1	1.376	151	57	0.049	187	135	0.057 ✓
116	21	1.846	152	99, 226/102	0.130	188	136	0.166 ✓
117	22/1	3.084	153	100	0.036	189	137	0.146 ✓
118	23/2	0.049	154	101	0.081	190	138	0.032 ✓
119	25/2/2	0.040	155	102/1	0.109	191	139	0.061 ✓
120	26/1	0.809	156	102/2	0.494	192	140	0.028 ✓
121	27/1/1/1	4.338	157	105	0.036	193	141	0.049 ✓
122	27/1/1/2	0.081	158	106	0.077	194	142	0.020 ✓
123	27/1/1/2/1क-1	0.239	159	107	0.061	195	143	0.032 ✓
124	27/1/1/2/2क-1	0.114	160	108	0.069	196	144	0.028 ✓
125	27/1/1/2/3क-1	0.133	161	110	0.073	197	145	0.049 ✓
126	27/1/1/2क-2	0.146	162	111	0.036	198	146	0.081 ✓
127	27/1/1/2क-3	0.146	163	112	0.073	199	150 में से	0.040 ✓
128	27/1/1/2क-4	0.146	164	113	0.012	200	151	0.129 ✓
129	27/1/1/2क-5	0.146	165	116	0.089	201	152	0.101 ✓
130	27/1/1/2क-6	0.146	166	117	0.243	202	153	0.142 ✓
131	28/2/2	0.344	167	118	0.024	203	154क	0.081 ✓
132	30/2/2	0.162	168	119	0.040	204	190/115	0.109 ✓
133	32/2/2क	0.162	169	120	0.057	205	193/27/1/2	0.202 ✓
134	32/2/2ख	0.065	170	121	0.024	206	193/27/2	0.203 ✓
135	32/2/2 में से	0.036	171	122	0.045	207	223/15	1.073 ✓
136	32/2/2ग	0.036	172	123 क	0.008	208	224/133	0.789 ✓
137	32/2/2घ	0.065	173	123 ख	0.008	209	225/102	0.024 ✓
138	33/1	0.008	174	123 ग	0.020	कुल किता - 209		41.158
139	44	0.704	175	124	0.032			
140	45	0.413	176	125	0.077			
141	46/1	0.267	177	129/1 में से	0.429			
142	46/2	0.336	178	129/2 में से	0.024			
143	47/1	0.020	179	130/1 में से	0.275			
144	47/2	0.640	180	131/1	0.073			

ग्राम लाऊखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकवा (हे.मे)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकवा (हे.मे)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकवा (हे.मे)
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	94-120, 121, 126/2/3/1	0.105	33	113/1/1/2	0.797	65	129/2/1/2	0.004 ✓
2	94-120, 121, 126/3/2/1	0.097	34	113/1/1/3	0.053	66	133/2	0.081 ✓
3	94-120, 121, 126/3/2/2	1.842	35	113/1/1क	0.299	67	216/1/2	0.275 ✓
4	100-101/2/1क	1.608	36	113/1/1ख	0.194	68	216/2/2	0.016 ✓
5	100-101/2/1ख	0.561	37	113/1/1ग	0.105	69	222/1	0.527 ✓
6	102/2/1	0.348	38	113/1/1घ	0.231	70	222/2	0.032 ✓
7	102/2/2	0.128	39	113/1/1ङ	0.299	71	225-226/2/1/1	0.121 ✓
8	103, 104, 105/2/1/1क	0.112	40	113/1/1च	0.024	72	225-226/2/1/2	0.591 ✓
9	103, 104, 105/2/1/1ख	0.289	41	113/1/2	0.045	73	230/3	0.036 ✓
10	103, 104, 105/2/1/2	0.607	42	114/1/1/1	0.640	74	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/1/1	0.027 ✓
11	103, 104, 105/2/2	1.780	43	114/1/1/2	0.567	75	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/1/2	3.923 ✓
12	109, 116/2, 117/2	0.454	44	114/1/2ख	0.299	76	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/1/2/2	0.008 ✓
13	109, 116/2, 117/1/1क	1.132	45	114/1/2ग	0.105	77	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/2/3	0.032 ✓
14	109, 116/2, 117/1/1ख	0.025	46	114/1/2घ	0.105	78	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/2/4	0.028 ✓
15	109, 116/2, 117/2/1/2	0.789	47	115/1/1क	0.405	79	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/2/5	0.053 ✓
16	109, 116/2, 117/1/3	0.304	48	115/1/1ख	0.028	80	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/2/6	0.053 ✓
17	110/1/1	0.498	49	115/1/1ग	0.420	81	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/2/7	0.028 ✓
18	110/1/2/1	0.383	50	115/1/2	0.385	82	238/2/1/1, 239, 240, 241, 242	0.202 ✓
19	110/1/2/2	0.717	51	115/1/3	0.234	83	238/2/1क, 239, 240, 241, 242	0.049 ✓
20	110/1/3	0.526	52	116/1/1	0.202	84	238/2/1ख, 239, 240, 241, 242	0.053 ✓
21	110/1/4	0.405	53	116/1/1/1क	0.282	85	238/2/1ग, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
22	110/1/5	0.101	54	116/1/1/1ख	0.020	86	238/2/1घ, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
23	111/1	0.036	55	116/1/1/1ग	0.045	87	238/2/1ङ, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
24	111/2	0.600	56	116/1/1/1घ	0.045	88	238/2/1च, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
25	112/1/1क	1.866	57	116/1/1/2/1	0.202	89	238/2/1ख, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
26	112/1/1ख	0.506	58	116/1/1/2/2	1.117	90	238/2/1ग, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
27	112/1/2	0.081	59	116/1/1/3	0.296	91	238/2/1घ, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
28	112/1/3क	0.020	60	118/1/1	0.421	92	238/2/1ङ, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
29	112/1/3ख	0.162	61	118/1/2	0.069	93	238/2/1च, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
30	112/1/3ग	0.020	62	118/2	0.409	94	238/2/1ख, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
31	112/2	0.154	63	119	0.450	95	238/2/1ग, 239, 240, 241, 242	0.121 ✓
32	113/1/1/1	0.433	64	122/1	0.461	96	238/2/1ङ, 239, 240, 241, 242	0.190 ✓
97	238/2/1ग, 239, 240, 241, 242	0.121	124	250	0.121	151	94/2/2/6, 120-121-126	0.016
98	238/2/1घ, 239, 240, 241, 242	0.121	125	252/2/1	1.685	152	94/2/2/7, 120-121-126	0.010
99	238/2/1ख, 239, 240, 241, 242	0.121	126	252/2/2/2	0.045	153	94/2/2/8, 120-121-126	0.010
100	238/2/1च, 239, 240, 241, 242	0.121	127	273/1/2	0.206	154	94/2/2/9, 120-121-126	0.010
101	238/2/1ङ, 239, 240, 241, 242	0.121	128	275/2/9	0.049	155	94/2/2/10, 120-121-126	0.010
102	238/2/1च, 239, 240, 241, 242	0.121	129	276/2/9	0.109	156	94/2/2/11, 120-121-126	0.285
103	238/2/1घ, 239, 240, 241, 242	0.121	130	277/2/9/2	0.105	157	94/2/2/12, 120-121-126	0.014
104	238/2/1ख, 239, 240, 241, 242	0.061	131	297/207/2	0.283	158	94/2/3/1, 120-121-126	0.105
105	238/2/1ग, 239, 240, 241, 242	0.061	132	299/222	0.073	159	94/2/3/5, 120-121-126	0.082
106	238/2/1घ, 239, 240, 241, 242	0.061	133	301/236/2	0.514	160	94/2/3/6, 120-121-126	0.020
107	238/2/1ङ, 239, 240, 241, 242	0.061	134	302/241/2	0.049	161	94/2/4, 120-121-126	0.113

108	234/2/13क	0.950	135	308/111/1	0.425	162	94/2/4/2, 120-121-126*	0.101
109	244/1क	1.874	136	308/111/2	0.833	163	94/2/4/3, 120-121-126	0.101
110	244/1ख	0.014	137	83/1/1ग, 89, 130, 131, 132	0.089	164	94/2/4/4, 120-121-126	0.101
111	244/2	0.028	138	92/1/1	0.321	165	94/2/4/5, 120-121-126	0.101
112	244/3	0.012	139	92/1/1/2	0.299	166	94/2/4/6, 120-121-126	0.101
113	245/2क	0.040	140	92/1/2	0.028	167	94/2/4/7, 120-121-126	0.101
114	245/2ख	0.284	141	92/2	0.069	168	94/2/4/8, 120-121-126	0.141
115	245/3ख	0.263	142	92/2/1, 93/क	0.057	169	94/2/4/9, 120-121-126	0.020
116	246/2	0.174	143	93/ख/1	0.026	170	94/2/4/10, 120-121-126	0.141
117	247/2/1, 248/1/2	0.084	144	93/घ/1	0.089	171	94/2/4/11, 120-121-126	0.012
118	247/2/3, 248/1/3	0.036	145	94/2/1क, 120-121-126	0.117	172	94/2/4/12, 120-121-126	0.117
119	247/2, 248/1	0.749	146	94/2/1ख, 120-121-126	0.502	173	94/2/4/13, 120-121-126	0.101
120	247/2, 248/2	0.089	147	94/2/2, 120-121-126	0.109	174	94/2/4/14, 120-121-126	0.407
121	248/2/1क	0.417	148	94/2/2/3, 120-121-126	0.008	175	94/2/4/15, 120-121-126	0.019
122	248/2ख	0.011	149	94/2/2/4, 120-121-126	0.004	176	94/2/4/16, 120-121-126	0.011
123	249	0.360	150	94/2/2/5, 120-121-126	0.008	177	94/2/5, 120-121-126	0.012
* 178	94/2/5/1, 120-121-126	0.016	210	128/1/2	0.064	242	231/1/2/1	0.016
179	94/2/6/1, 120-121-126	0.222	211	128/1/3/1	0.029	243	231/1/2/2	0.016
180	94/2/6/2, 120-121-126	0.223	212	128/1/3/2	0.093	244	231/1/2/3	0.053
181	94/2/7, 120-121-126	0.166	213	128/1/4	0.149	245	232/2/1	0.004
182	94/2/8, 120-121-126	0.010	214	128/1/5/1	0.121	246	232/2/2	0.045
183	94/2/9, 120-121-126	0.010	215	128/1/5/2	0.013	247	232/2/3	0.101
184	113/2	0.061	216	128/1/6/1	0.077	248	232/2/24	0.013
185	116/1/2	1.854	217	128/1/6/2	0.073	249	232/2/5	0.092
186	123/1/1	0.020	218	133/2	0.089	250	232/2/6/3	0.097
187	123/1/2	0.150	219	134/2	0.028	251	234/1/1	0.093
188	123/2/1	0.013	220	207/2	0.817	252	234/1/2	0.053
189	123/2/2क	0.033	221	208	0.235	253	234/1/3	0.202
190	123/2/2ख	0.021	222	209/2	0.482	254	234/1/3/1	0.016
191	124/1/1क	0.020	223	210/2	0.388	255	234/1/3/3	0.112
192	124/1/1ख	0.012	224	212/1/2	0.283	256	234/2/13क	0.150
193	124/1/1ग	0.174	225	213/2	0.377	257	254ख	0.255
194	124/2/1क	0.016	226	215/2	0.008	258	255/ख	0.741
195	124/2/2/1	0.024	227	217/1/1, 218	1.130	259	256/ख	0.862
196	124/2/2क	0.004	228	217/1/2, 218	0.089	260	257/ख	0.206
197	124/2/2ख	0.016	229	217/218/2/1	0.637	261	260/262/2/2	4.321
198	124/2/2ग	0.036	230	217/218/2/2	0.637	262	261	1.598
199	124/2/2घ	0.032	231	217/218/2/3	0.396	263	264/1	0.016
200	124/2/2ङ	0.024	232	217/218/2/4	0.006	264	295/260	0.474
201	124/2/2च	0.020	233	221	0.417	265	297/207/1	0.251
202	124/2/2छ	0.012	234	223	0.413	कुल किता -265		70.853
203	127/1/1	0.511	235	224/2/1/1	0.301			
204	127/1/1ख	0.117	236	224/2/2क	0.132			
205	127/1/2	0.561	237	224/2/2ग	0.223			
206	127/2	0.154	238	224/2/2घ	0.018			
207	128/1/1क/1	0.018	239	224/2/2ङ	0.243			
208	128/1/1क/2	0.007	240	224/2/3	0.607			
209	128/1/1ख	0.093	241	231/1/1	0.077			

ग्राम हलालपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल					
स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.मै)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.मै)
1	2	3	1	2	3
1	78	0.024	41	80/1/ख/2	1.531
2	79/1/1	0.101	42	80/2	0.315
3	79/1/1/5/4/10/1/2	0.101	43	80/3	0.319
4	79/1/1/5/1	0.101	44	80/4	0.646
5	79/1/1/5/2	0.101	45	80/5	0.643
6	79/1/1/5/3	0.101	46	80/6	0.786
7	79/1/1/5/4	0.101	47	80/7	0.752
8	79/1/1/5/4/1	0.101	48	81	0.328
9	79/1/1/5/4/2/1	0.101	49	82/1/1	0.101
10	79/1/1/5/4/2/2	0.101	50	82/1/2	0.101
11	79/1/1/5/4/2/3	0.101	51	82/1/3	0.101
12	79/1/1/5/4/2/4	0.101	52	82/1/4	0.041
13	79/1/1/5/4/2/6	0.101	53	82/1/5	0.077
14	79/1/1/5/4/2/7	0.101	54	82/1/6/1	0.405
15	79/1/1/5/4/2/8	0.101	55	82/1/6/2, 82/1/6/3, 82/1/6/4, 82/1/6/5, 82/1/6/6/1	0.749
16	79/1/1/5/4/2/9	0.101	56	82/1/6/6/2	0.060
17	79/1/1/5/4/2/11	0.101	57	82/2	0.101
18	79/1/1/5/4/2/12	0.101	58	83, 84/2, 85/2/1/1, 86, 87/1/1, 120/84/2	3.358
19	79/1/1/5/4/2/13	0.101	59	84/1/1	0.061
20	79/1/1/5/4/5	0.101	60	84/1/2	0.101
21	79/1/1/5/4/10/1/2	0.101	61	84/1/3	0.101
22	79/1/1/5/4/10/1/4	0.165	62	84/1/4	0.024
23	79/1/1/5/5/1	0.101	63	83, 84/2, 85/2/1/1, 86, 87/1/1, 120/84/1	4.662
24	79/1/1/5/5/2	0.101	64	85/2/1/2, 86	0.089
25	79/1/1/5/5/3	0.101	65	85/2/2, 86	0.061
26	79/1/2	0.101	66	85/2/3, 86	0.067
27	79/1/3	0.101	67	85/2/4, 86	0.067
28	79/1/4	0.101	68	85/2/5, 86	0.067
29	79/1/5/4/2/10/1/1	2.672	69	85/2/6, 86	0.101
30	79/2/1/2/क/1	0.345	70	85/2/7, 86	0.101
31	79/2/1/2/क/2	0.411	71	87/1/2	0.101
32	79/2/1/2/ख	0.093	72	87/2/1	1.013
33	79/2/1/2/ग/1	1.853	73	87/2/2	0.210
34	79/2/1/2/ग/2	0.150	74	87/2/3	0.384
35	79/2/1/2/ग/3	0.133	75	87/3	1.356
36	79/2/1/ख	0.183	76	88/1	0.607
37	79/2/2/क	0.121	77	88/2	0.161
38	79/2/2/ख	1.093	78	89/1	0.247
39	80/1/क	1.731	79	89/2, 89/3	0.073
40	80/1/ख/1	0.200		कुल किरा - 79	31.868

ग्राम बोरबन, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (है.में)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (है.में)
1	2	3	1	2	3
1	14/2 में से	0.466	34	16/3 में से	0.012 ✓
2	14/2 में से	0.021	35	16/3 में से	0.123 ✓
3	14/2 में से	0.021	36	16/3 में से	0.041 ✓
4	14/2 में से	0.129	37	16/3 में से	0.016 ✓
5	14/2, 15/3/1/1 में से	0.008	38	16/3 में से	0.011 ✓
6	14/2, 15/3/3	0.068	39	16/3 में से	0.162 ✓
7	14/2, 15/3/1/2	0.023	40	16/3 में से	0.162 ✓
8	14/2, 15/3/1/3	0.025	41	16/3 में से	0.162 ✓
9	14/2 में से	0.299	42	16/3 में से	0.162 ✓
10	14/2	0.008	43	16/3 में से	0.162 ✓
11	15/2 में से	0.150	44	16/3 में से	0.162 ✓
12	15/2 में से	0.097	45	16/3	1.064 ✓
13	15/2 में से	0.097	46	16/4 में से	0.152 ✓
14	15/2 में से	0.150	47	16/4/2/1	0.159 ✓
15	15/2/1 में से	0.077	48	16/4/2/2	0.020 ✓
16	15/2/3/1क	0.018	49	16/4/2/3	0.020 ✓
17	15/2/3/2क	0.006	50	16/4 में से	0.165 ✓
18	15/2/3ख	0.018	51	19/1/1	0.150 ✓
19	15/2/2	0.149	52	16/4/क2	0.315 ✓
20	15/3/1 में से	0.231	53	16/4ग	0.129 ✓
21	15/3/1 में से	0.011	54	16/4घ	0.133 ✓
22	15/3/1 में से	0.014	55	16/4ख	0.032 ✓
23	15/3/1 में से	0.035	56	16/4क/मि-1, 19/1/1/1	0.733 ✓
24	15/3/1 में से	0.012	57	16/4 में से	0.099 -
25	15/3/1 में से	0.012	58	16/4/1	0.051 -
26	16/1 में से	0.150	59	16/4/2	0.048 ✓
27	16/1/1	0.318	60	16/क/6	0.154 ✓
28	16/1/2	0.023	61	16/ब.	0.198 ✓
29	16/2 में से	0.129	62	19/1/1	0.150 -
30	16/2 में से	0.321	कुल किता - 62		8.885 ✓
31	16/2 में से	0.348			
32	16/2 में से	0.352			
33	16/2 में से	0.152			

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-2016-17

टीकमगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2018

चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन सम्भाग टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के पक्ष में बरुवानाला तालाब योजना की पोहा भाटा उप नहर के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 12-2/2014/सात/2-ए/भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 12-2/2014/सात/2-ए/भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व आदि के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। म्याद गुजर जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति ज्ञापन क्रमांक 12-2/2014/सात/2-ए/भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम - बरुवानाला तालाब योजना की पोहाभाटा उप नहर निर्माण
2. भूमि का विवरण - ग्राम पोहाभाटा तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़ म०प्र०
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल - 0.250 है०

अनुसूची

क्र	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित रकवा हे०में
1	कृपाराम तनय बालाराम वसोर निवासी पोहा	368/4/2/2	1.291 है०	0.080 है०
2	मुलिया पत्नी जूजा, जमुना, लक्ष्मीदास, गोपालदास, तनयजूजा, लक्ष्मी, मेवा, पुत्री जूजा, रामदेवी पत्नी प्रभु डीमर, कलू, नरेश तनय प्रभु डीमर, शांति पुत्री प्रभु डीमर 1/3 भाग बृजकिशोर बा.संतोष नाबा सर.भाई बृजकिशोर तनय मातादीन डीमर 0.854/1.056 भाग, जमुना तनय हरप्रसाद डीमर 0.202/1.056 भाग, बैना, श्री लडकू पुत्री छिदामी जाति डीमर, बिन्ना पुत्री मातादीन डीमर निवासी पोहाभाटा	316/4/2/ख	1.619 है०	0.010 है०
3	गुलाब, रहीश, जसरथ तनय शिवदयाल जाति नाई निवासी पोहा	316/4/2/ड	1.549 है०	0.160 है०
	योग-		4.459 है०	0.250 है०

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरुवानाला तालाब योजना की पोहा भाटा उप नहर के निर्माण करने हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी निवाडी एवं कार्यपालन यंत्रि जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2018

क्रमांक 904-1285-18-पचास-2.—किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:-

:: अनुसूची ::

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4
1.	बालाघाट	बालाघाट	श्रीमती अपर्णा राजेश शर्मा, JMFC
2.	बडवानी	बडवानी	श्री सोहन लाल भगोडा, JMFC
3.	भिण्ड	भिण्ड	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, JMFC
4.	बुरहानपुर	बुरहानपुर	श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, JMFC
5.	छतरपुर	छतरपुर	श्रीमती सोनाली शर्मा, JMFC
6.	दमोह	दमोह	श्रीमती रितिका मिश्रा (पाठक), JMFC
7.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	कु. दीप्ती ठाकुर, JMFC
8.	मण्डला	मण्डला	श्रीमती शोभना गौतम, JMFC
9.	मुरैना	मुरैना	श्रीमती शिखा अग्रवाल, JMFC
10.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	श्रीमती स्वपना श्री सिंह, JMFC
11.	नीमच	नीमच	कु. शीतल बघेल, JMFC
12.	पन्ना	पन्ना	श्री मनोज कुमार तिवारी, JMFC
13.	रायसेन	रायसेन	श्रीमती रिजवाना कौशर, JMFC

14.	राजगढ	राजगढ	श्री देवेन्द्र सोलंकी, JMFC
15.	रतलाम	रतलाम	कु. संचिता भडकारिया, JMFC
16.	रीवा	रीवा	श्री हरिओम अतलासिया, JMFC
17.	सतना	सतना	सुश्री सुषमा उपाम्मन, JMFC
18.	सिवनी	सिवनी	श्रीमती सुमन उइके, JMFC
19.	शहडोल	शहडोल	श्री सतीश शर्मा, JMFC
20.	श्योपुर	श्योपुर	श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह, JMFC
21.	सिंगरौली	सिंगरौली	श्रीमती सपना शर्मा, JMFC
22.	उज्जैन	उज्जैन	श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, JMFC
23.	विदिशा	विदिशा	श्री दिनेश कुमार प्रजापति JMFC
24.	खरगोन	खरगोन	कु. हर्षिता शर्मा, JMFC
25.	आगर (शाजापुर)	आगर (शाजापुर)	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, JMFC

No. 904-1285-18-L-2.—exercise of the powers conferred by sub-section(1) and (2) of section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 (No.02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:-

Schedule-

S. NO	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
1	2	3	4
1	BALAGHAT	BALAGHAT	Smt. Aparna Rajesh Sharma, JMFC
2	BARWANI	BARWANI	Shri Sohan Lal Bhagoda, JMFC

3	BHIND	BHIND	Shri Gyanendra Kumar Shukla, JMFC
4	BURHANPUR	BURHANPUR	Shri Rajendra Kumar Patidar, JMFC
5	CHHATARPUR	CHHATARPUR	Smt. Sonali Sharma, JMFC
6	DAMOH	DAMOH	Smt. Ritika Mishra (Pathak), JMFC
7	HOSHANGABAD	HOSHANGABAD	Ku. Deepti Thakur, JMFC
8	MANDLA	MANDLA	Smt. Shobhana Gautam, JMFC
9	MORENA	MORENA	Mrs. Shikha Agrawal, JMFC
10	NARSINGHPUR	NARSINGHPUR	Smt. Swapna Shri Singh, JMFC
11	NEEMUCH	NEEMUCH	Ku. Sheetal Baghel, JMFC
12	PANNA	PANNA	Shri Manoj Kumar Tiwari, JMFC
13	RAISEN	RAISEN	Smt. Rizvana Kauser, JMFC
14	RAJGARH	RAJGARH	Shri Devendra Solanki, JMFC
15	RATLAM	RATLAM	Ku. Sanchita Bhadkaria, JMFC
16	REWA	REWA	Shri Hariom Atlasiya, JMFC
17	SATNA	SATNA	Sushri Sushma Upamman, JMFC
18	SEONI	SEONI	Smt. Suman Uike, JMFC
19	SHAHDOL	SHAHDOL	Shri Satish Sharma, JMFC
20	SHEOPUR	SHEOPUR	Shri Surendra singh Kushwaha, JMFC
21	SINGRAULI	SINGRAULI	Smt. Sapna Sharma, JMFC
22	UJJAIN	UJJAIN	Smt. Tripti Pandey, JMFC
23	VIDISHA	VIDISHA	Smt. Dinesh Kumar Prajapati, JMFC
24	KHARGONE	KHARGONE	Ku. Harshita Sharma, JMFC
25	AGAR (SHAJAPUR)	AGAR (SHAJAPUR)	Shri Abdhesh Kumar Shrivastava, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं
समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 20 मार्च 2018

नस्ती क्र. 141-2017-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—खण्डवा तरफ माली
(घ) अर्जित रकबा—0.36 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/2	0.028
26/4	0.008
कुल रकबा . .	0.036

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्रोडगेज बायपास कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 143-2017-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा

- (ग) ग्राम—सहेजला
(घ) अर्जित रकबा—0.54 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
221/1	0.05
221/3	0.10
222	0.39
कुल रकबा . .	0.054

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्रोडगेज बायपास कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 142-2017-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—देवलामाफी
(घ) अर्जित रकबा—0.93 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
495	0.12
496/1	0.72
497	0.05
501	0.09 सिंचित
498	0.16
499	0.08
500/3	0.30 सिंचित
502	0.01 सिंचित
कुल रकबा . .	0.039

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्रोडगेज बायपास कार्य हेतु.	(1)	(2)	
	347/1	0.52	
	347/2	0.53	
	347/3	0.53	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.	339	1.28	
	340/1	0.80	
	340/2	1.20	
	340/3	0.54	
खण्डवा, दिनांक 5 अप्रैल 2018	340/4	0.18	
नस्ती क्र. 136-2017-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 05-अ-82-17-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामूहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किये जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	340/5	0.60	
	340/6	0.10	
	340/7	0.47	
	237/2	1.66	
	237/3	1.70	
	240/1	1.40	
	240/2	1.40	
	239	1.08	
	238/1	0.51	
	238/2	0.63	
	390	2.97	
	418/1	2.40	
	418/2	2.40	
	418/3	0.30	
	241/1	1.40	
	241/2	0.53	
	242	2.01	
	243/1	1.13	
	477/1	2.75	
	477/2	2.65	
	477/3	1.80	
(1) भूमि का वर्णन—	477/4	0.65	
(क) जिला—खण्डवा	478/	1.84	
(ख) तहसील—खण्डवा	479	3.13	
(ग) ग्राम—राजगढ़	480/1	1.12	
(घ) अर्जित रकबा—324.45 हेक्टेयर.	480/2	3.20	
खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	482/1	0.40
	(हे. में)	482/2	2.00
(1)	(2)	482/3	0.80
341	0.40	482/4	1.20
342/1	1.14	482/5	3.00
342/2	1.20	483	1.19
344	1.03	488	0.36

(1)	(2)	(1)	(2)
522/2	1.02	272/3	1.20
522/3	1.18	272/4	1.15
523/1	1.60	272/5	1.15
523/2	1.64	273/1	2.19
532	2.30	273/2	2.20
533	2.64	273/3	2.20
534/1	0.61	249	2.68
534/2	0.50	250/1	1.19
535/1	0.02	250/2	0.40
535/2	0.30	250/3	0.40
535/3	0.17	362/1	2.59
535/4	1.20	362/2	0.75
535/6	0.60	243/2	0.80
535/7	0.45	389	4.10
535/8	0.22	388/1	2.15
336/1	6.35	388/2	3.25
337/1	1.00	384	0.81
337/2	0.88	245/1	3.58
337/3	0.88	245/2	3.60
348	1.44	423/1	1.51
349	1.50	423/2	1.60
351	2.45	423/3	1.60
356	0.91	428/1	1.00
357	1.17	428/2	0.25
358	2.01	424	0.20
359	2.29	425	0.67
297/1	0.30	426	0.25
297/2	0.49	427	0.69
259/1	1.18	430	0.79
259/2	2.00	436	2.02
259/3	2.00	437	2.00
259/4	1.19	438	2.21
257/1	1.59	440	0.32
257/2	1.59	441	1.72
271/1	1.45	442	0.25
271/2	1.46	443	0.55
271/3	1.46	445	4.10
252	0.12	446	1.36
253	0.16	454	1.14
272/1	1.14	455	1.00
272/2	1.00	456	1.51

(1)	(2)	(1)	(2)
457	1.49	515/2	1.00
458	0.09	515/3	1.00
459/1	1.56	516	0.54
459/2	0.75	517/1	0.07
459/3	1.60	517/2	0.05
462/1	1.12	517/3, 518/3	0.18
462/2	0.32	536	3.20
463/1	1.43	538/1	0.26
463/2	1.41	538/2	0.30
489	1.55	538/3	0.30
490	6.50	541	2.88
491	0.17	542	0.13
492/1	1.00	543	3.77
492/2	2.13	546	2.80
493/1	0.33	547	1.78
493/2	1.11	548	2.08
494	1.44	549	1.47
499/1/1	1.17	550/1	1.39
499/1/2	1.20	550/2	0.05
499/1/3	0.80	550/3	1.20
499/2	1.37	551	1.36
500	1.83	552	1.30
501/1	1.52	553/1	0.80
501/2	1.60	553/2	0.80
503/1	1.00	553/3	0.50
503/2	0.04	553/4	0.40
503/3	0.80	555/1	2.01
504	2.98	555/2	0.80
505	3.22	246/1	1.40
510/1	1.62	246/2	3.00
510/2	2.00	378/1	0.52
510/3	0.040	378/2	1.60
510/4	0.80	378/3	1.60
510/5	0.80	379/1	3.61
511	2.93	379/2	4.00
512/1	1.45	376/1	0.59
512/2	1.45	376/2	0.57
514/1	1.45	376/3	0.39
514/2	1.00	376/4	0.38
514/3	1.00	375/1	0.48
515/1	0.33	375/2	0.50

(1)	(2)
375/3	0.41
375/4	0.42
374	2.53
363	0.34
364	0.73
365	1.11
366	0.79
367	3.77
368	6.94
237/1	1.20
463/3	1.41
464/1	1.92
464/2	4.41
465/1	1.27
465/2	1.27
466	2.52
467	1.28
518/1	0.33
518/2	0.15
519	0.63
521/1	3.08
521/2	0.25
521/3	0.15
522/1	1.36
372	1.92
448	0.45
338/1	1.27
338/2	1.00
योग :	<u>324.45</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 133-2017-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-17-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर

से सामूहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किये जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—सेमलिया

(घ) अर्जित रकबा—173.68 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जित रकबा
(हे. में)

(1)	(2)
206/1	1.87
206/2	1.85
206/3	1.85
201	0.64
170	0.65
169	1.14
167/1	3.07
167/2	1.00
202/1	0.50
202/2	0.20
168	0.45
203	0.10
207/1	2.80
207/2	0.67
207/3	0.40
207/4	0.80
207/5	0.40
207/6	0.40
207/7	0.80
209	1.40

(1)	(2)	(1)	(2)
210	1.20	263	0.52
211	1.15	264	0.26
212/1	1.30	386	4.57
212/2	1.20	387	1.92
213/1/1	0.80	394/1	0.05
213/3	1.60	394/2	0.25
213/1/4	0.80	384/2	0.10
213/1/2	0.80	384/4	0.85
213/1/3	0.80	379/1	0.05
213/2	1.09	379/2	0.05
214	1.62	380	0.80
215	1.86	381	0.08
216	0.16	298/1	0.06
248/1	0.20	298/2	0.02
248/2	0.30	298/3	0.06
249/1	0.92	298/5	0.06
249/2	1.23	297	0.42
250	1.05	296/1	0.16
251/1	1.28	296/2	1.12
251/2	0.50	295	2.14
252	0.80	294/1	0.34
253/1	0.65	294/2	0.48
253/2	1.45	294/3	0.48
254/1	0.60	294/4	0.48
254/2	0.60	266	0.14
254/3	0.55	276/1	0.75
254/4	0.21	276/2	0.05
254/6	0.40	267/1	2.20
254/7	0.40	254/5	0.40
254/8	0.40	267/2	1.40
255	0.74	267/3	0.20
256	3.16	267/4	0.25
257	1.20	267/5	0.80
258	1.20	268	2.11
259	1.17	269	1.27
260/1	1.17	270/1	0.80
260/3	0.60	270/2	0.80
260/5	1.13	270/3	0.92
261/1	0.22	271/1	2.12
261/2	0.77	271/2	1.20
261/3	1.61	272/1	0.19
262/1	0.38	272/2	0.19
262/2	0.20	272/3	0.19
262/3	0.20	272/4	0.19
262/4	3.97	275/1	0.75

(1)	(2)	(1)	(2)
275/2	0.75	239/1	1.60
275/3	0.76	239/2	1.60
275/4	0.76	239/3	0.40
217/1	1.30	239/4	0.40
217/2	1.30	241/1	1.84
217/3	0.70	241/2	1.84
217/4	3.92	241/3	1.83
217/5	0.60	241/4	1.00
218	2.35	241/5	1.00
219	1.67	241/6	1.00
220	0.82	242	0.25
223/1	0.42	243	0.10
223/2	0.06	244/1	0.40
223/4	0.53	244/2	0.10
223/5	0.06	304	0.10
224/1	0.98	323/1	0.05
224/2	1.50	323/6	0.15
224/3	0.75	163/1	0.56
224/4	0.42	163/2	0.55
224/5	0.14	164/1	0.79
226	1.67	164/2	0.80
227/1	0.97	165/1	0.23
227/2	1.20	165/2	1.20
228/1	1.24	165/3	2.00
228/2	0.40	165/4	0.24
228/3	1.25	161	5.94
229	1.60	160/1	0.15
230	3.01	160/2	1.49
231	3.45	162/2	0.13
233/1	1.60	162/1	0.71
233/2	3.27	325/1	0.10
233/3	1.20	325/2	0.20
234	1.42	325/3	0.32
235	1.23	326	0.92
236/1	0.81	योग :	<u>173.68</u>
236/2	1.11		
236/3	0.31	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.
236/4	0.32	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
236/5	0.32		
237/1	0.07		
237/2	0.58		

नस्ती क्र. 134-2017-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 07-अ-82-17-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामुहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से, लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किया जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—हण्डियाखेडा
(घ) अर्जित रकबा—57.72 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3	1.09
4	6.00
5	6.00
6	2.54
7/1	1.21
7/2	1.60
7/3	1.60
13	1.74
14/1	1.13
14/2	0.40
15	0.21
16	1.84
17	0.39
18	1.54
19	5.81

(1)	(2)
20/1	2.80
20/2	1.60
20/3	1.17
21	4.75
22	2.70
23	2.36
25/1	1.13
25/2	1.60
25/3	1.54
70	0.24
105	0.55
107	0.33
121/2	0.20
111/1	1.05
111/2	0.30
111/3	0.80
112/1	0.44
112/2	0.36
112/7	0.19
112/8	0.05
114	0.19
118	0.27

कुल योग : 57.72

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 137-2017-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 09-अ-82-17-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामुहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से, लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किया जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं

पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—लुन्हार
(घ) अर्जित रकबा—0.85 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
254	0.85
कुल योग :	0.85

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

शुद्धि-पत्र धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना

नस्ती क्र. 135-2017-एलए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-17-18.—भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु ग्राम बरार रैयत तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-08-अ-82-17-18 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 5 जनवरी 2018 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 30 दिसम्बर 2017 को, नई दुनिया में दिनांक 30 दिसम्बर 2017 को एवं आम इशतहार दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को हुआ है. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. जी नं. 21434/17.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा हे. में.	सही संशोधित प्रविष्टि रकबा हे. में.
(1)	(2)
55.48	57.28

उक्त प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 55.48 हे. के स्थान पर रकबा 57.28 हे. होगा.

नस्ती क्र. 135-2017-एलए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-17-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में हितबद्ध कृषकों की ओर से सामूहिक रूप में आपत्तियां प्रस्तुत की गईं. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानारूप न होने से लोक प्रयोजन को आक्षेपित न किया जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त आपत्तियां अमान्य की गईं. इस कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—बरार रै.
(घ) अर्जित रकबा—57.28 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/2	1.05
3	0.25
5	0.16
7/2	0.08
8	0.20
12/1	1.00
12/2	1.00
13	6.88
15/1	3.60
15/2	3.34
25	0.12
104/1	1.21
104/2	1.80
104/5	0.13
104/3	0.04
104/4	0.04

(1)	(2)
105	0.78
118	0:03
81	0.20
78	0.10
77	0.39
74/1	0.44
129	1.05
120/1	1.00
120/2	1.21
121	2.60
122/1	1.20
122/2	1.20
123	3.16
124	3.30
126	0.21
133/1	1.46
133/2	1.60
133/3	0.40
134/1	4.00
134/2	4.00
134/3	2.13
134/4	2.12
135/1	1.30
135/2	0.15
136	2.25
338/1	0.10
योग :	57.28

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 28 मार्च 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-2017-18-1901.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है.

अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—मुदरियाटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.998 हेक्टर नहर क्षेत्र.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
394/1	0.047
393/1	0.193
392	0.042
382	0.021
391/1	0.010
354/2	0.097
354/1	0.097
357/1	0.101
359	0.341
317	0.061
316/1	0.141
316/2/1	0.109
316/3	0.061
369/2	0.141
69/1	0.053
69/2	0.073
52/2	0.154
69/3/क	0.065
72/1ख	0.041
74/2	0.004
72/3	0.150
50/2	0.053
72/1/क	0.041
72/2	0.041
73	0.011
58/3/ख	0.006
82	0.046
83/3	0.041

(1) *	(2)
85/2	0.012
86/2	0.041
92/2	0.109
91/5	0.042
91/1	0.010
51	0.121
62	0.154
61	0.049
60/2	0.016
370/6	0.198
370/7	0.185
370/2क/1/क/2/क	0.061
370/2/क/1/ख	0.073
387	0.109
388	0.299
383/1	0.028
383/3	0.028
383/4	0.028
383/2	0.028
380/1	0.166
योग . .	<u>3.998</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओदारी डायवर्सन योजना-II के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 05-अ-82-2017-18-1902.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर

- (ग) ग्राम—वनसुकली
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.734 हेक्टर नहर क्षेत्र.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
700	0.321
703/2/क	0.159
702/2	0.057
701	0.275
707	0.271
708	0.101
695/12	0.129
695/17	0.324
695/17	0.097
योग . .	<u>1.734</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओदारी डायवर्सन योजना-II के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-2017-18-1903.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—डोम्हार
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—5.874 हेक्टर नहर क्षेत्र.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
447	0.186

(1)	(2)	(1)	(2)
438/473/2	0.066	301	0.077
438/474/2	0.012	294/1	0.012
11/2	0.065	296/1	0.133
12/2	0.065	298/2	0.069
405	0.032	235/2	0.020
438/473/1	0.065	298/1/ख	0.032
13	0.045	235/1/ख	0.020
437/1	0.053	235/1/क	0.020
436	0.093	314	0.036
435/2	0.101	310	0.006
409/1	0.161	309	0.016
134	0.045	307	0.081
182/2	0.045	304	0.085
177	0.202	303/1	0.121
170/3	0.303	303/2	0.041
408	0.053	181/2	0.105
397/4	0.028	238/2	0.073
406	0.291	179/1	0.004
14/1	0.032	235/1/ग	0.020
334/1/क	0.101	235/1/घ	0.020
215	0.032	264	0.121
15/3	0.073	457/5	0.057
319/3	0.041	360/9	0.097
319/4	0.045	457/2/क	0.174
313/2	0.028	360/3	0.141
313/1	0.029	359/3	0.008
178/1	0.046	360/8	0.162
177	0.162	357/10	0.032
170/3	0.303	योग . .	<u>5.874</u>
182/2	0.045		
134	0.045	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओदारी डायवर्सन योजना-II के निर्माण हेतु.	
171/1/1	0.068	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.	
172/1	0.038		
172/2	0.049		
172/3	0.051		
171/1/3	0.012		
168/1	0.036		
135	0.291		
45	0.065		
131	0.041		
262	0.105		
247	0.263		
216	0.073		
132	0.041		
126	0.065		

शहडोल, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ-82-2017-18-2000.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013)

की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जैतपुर
(ग) ग्राम—जमुनिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—35.833 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
168	0.134	792	0.081
169/1194	0.032	739	1.271
170	0.150	741	1.080
168/1192	0.024	743/1237	0.283
168/1192	0.073	744	0.142
169	0.045	814	0.081
170/1196	0.016	715	0.462
172	0.045	716	0.081
174	0.109	730	0.069
175	0.125	734	0.028
184	0.129	186	0.234
189	0.162	717	0.344
765	0.364	719	0.223
766	0.024	738	0.138
761	0.057	740	0.036
762	0.178	769	0.247
190/2	0.045	772	0.045
191/1	0.041	773	0.117
594	1.072	774	0.299
656	0.676	775	0.380
743	0.134	776	0.174
711/1234	0.081	777	0.162
713	0.032	778/3	0.182
710	0.652	788	0.134
732	0.142	789	0.241
714	0.575	718/1	0.655
728	0.061	718/2	0.575
729	0.049	720/1	0.117
731	0.049	723	0.077
733	0.474	724	0.125
727	0.045	725	0.061
735	0.085	726	0.024
781/1240	0.202	767	0.138
		768	0.206
		770	0.158
		771	0.478
		778/2	0.514
		778/1238	0.146
		779/2	0.248
		781/1239	0.097
		783/1241	0.332
		782	1.424
		783/2	0.890
		824	0.077
		783/1/ख	0.809

(1)	(2)
815	0.206
745/1/क	0.744
745/2	0.405
745/1/ख	0.405
746/1	0.561
746/2	0.560
747	0.093
749	0.121
751	0.109
752/2	0.057
753/1	0.615
755	0.611
748	0.267
750/1	0.421
750/2	0.012
752/1	0.068
753/2	0.198
754	0.093
810	0.333
811	0.263
812	0.567
758	0.798
763	0.069
759	0.045
764	0.073
779/1	0.250
137/1176	0.113
783/3	0.709
783/4	1.003
784	0.219
783/1243/1/क	0.356
784/1246	2.290
783/1243/1/ख	0.178
783/1243/2क	0.054
791	0.112
816	0.364
820	0.134
822	0.194
821	0.061
822/1250	0.146
823	0.437
137/1175	0.032
594/1228	0.429
191/2	0.145
711/1	0.091

(1)	(2)
191/3	0.146
711/2	0.091
783/1243/2/ख	0.019
783/1243/2ग	0.018
783/1243/2घ	0.018
783/1243/2/क	0.054
190/1	0.045
714	0.575
190/2	0.089
योग . .	<u>35.833</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरखी देवी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 09-अ-82-2017-18-2001.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
 (ख) तहसील—जैतपुर
 (ग) ग्राम—धनौरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—71.753 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.470
3	0.368
4	0.202
5/1	0.250
6	0.198
8	0.450
9	0.239
10	0.235

(1)	(2)	(1)	(2)
11	0.125	35	0.380
12	0.105	127/2155	0.065
13	0.121	132	0.421
14	0.101	29/2	0.283
15	0.109	30/2	0.097
16	0.129	31/1/ख	0.134
17	0.223	138/3	0.036
21	0.498	140/3	0.061
5/2	0.254	141/2	0.064
7/2/ग	0.404	143	0.093
5/3	0.230	169/3	0.101
7/2/क	0.404	170/3	0.044
7/1/क	0.485	171/3	0.044
7/1/ख	0.324	435/2	0.056
7/2/ख	0.404	441/3	0.145
7/2/घ	0.407	20	0.684
170/2	0.041	151	0.174
171/2	0.045	276	0.049
441/2	0.205	279	0.040
18/3	0.085	280	0.093
5/4	0.223	281	0.073
7/3	0.405	283	0.077
31/2	0.255	285	0.045
32/3	1.409	289	0.061
7/4	0.490	290	0.739
28	0.235	22	0.506
7/5	1.136	23	0.384
7/6/1	0.404	24	0.117
7/6/2	0.405	25	0.239
18/1	0.101	139	0.150
19	0.129	149	0.239
26	0.101	27	0.344
138/1	0.036	29/1	0.162
140/1	0.061	30/1	0.162
141/1	0.061	31/1/क	0.271
169/1	0.097	32/1	1.254
170/1	0.044	32/2	0.809
171/1	0.045	32/4	2.428
441/1	0.145	42/1	0.081
18/2	0.101	41/1/2	0.061
138/2	0.036	41/2/2	0.061
140/2	0.061	42/2	0.081
142	0.093	43/1	0.199
169/2	0.097	43/2	0.144
33	0.813	137	0.295

(1)	(2)	(1)	(2)
153	0.158	71/2	0.091
154/1	0.040	47	0.146
154/2/1	0.133	49	0.065
155	0.069	77/1	0.150
156	0.138	79	0.122
157	0.057	81	0.737
158	0.073	183	0.684
160	0.372	48	0.105
161/1	0.091	50	0.050
163	0.636	53	0.069
165	0.134	73	0.138
166/1	0.021	74	0.279
167/1	0.059	75	0.069
184	0.150	76	0.121
192	0.206	99	0.057
197/1	0.064	100	0.057
200/1	0.108	101	0.308
215/1	0.061	102	0.530
219	0.239	105	0.222
220	0.077	215/1	0.190
260/1	0.381	51	0.036
34/1	0.558	54/1	0.041
44	0.194	57/1	0.117
34/2	0.445	123/1	0.175
45/1/ख	0.121	124/1	0.268
46	0.089	125	0.174
38/2	1.619	126/1	0.200
38/3	0.809	85	0.368
39	0.231	90	0.640
40	0.129	91	0.197
52	0.158	104	0.352
98	0.065	116	0.089
41/1/1	0.061	117	0.194
41/2/1	0.061	127	0.150
54/2	0.040	129	0.024
55	0.105	62/2	0.048
57/2	0.129	124/2	0.064
123/2	0.129	58/2	0.026
56	0.097	126/3	0.260
58/1	0.120	128	0.134
45/2	0.263	59	0.097
64/1	0.182	62/1	0.126
64/2	0.182	65	0.081
67/1	0.070	126/2	0.321
67/2	0.072	60	0.154
71/1	0.182	80	0.202

(1)	(2)	(1)	(2)
103	0.097	204	0.271
61	0.089	106/1	0.299
88	0.255	106/2/क	0.147
89	0.231	106/2/ख	0.148
63/1	0.283	106/3	0.381
63/2	0.312	145	0.182
262	0.019	175	0.275
263	0.010	198	0.113
66	0.316	207	0.053
68	0.129	208	0.077
69	1.011	209	0.101
70	0.271	110	0.567
72/2	0.098	112	0.125
82/2	0.114	114	0.062
83/2	0.312	181	0.352
84/2	0.016	187	0.081
122	0.372	188	0.121
72/1	0.141	201	0.312
82/1	0.040	272/1	0.347
83/1	0.045	277	0.045
84/1	0.081	278	0.093
77/2	0.151	286	0.154
182	0.134	275/1/क	0.057
183/2158	0.097	275/2/ख	1.121
118/1	0.125	284	0.069
119/2	0.150	119/1	0.202
121/1	0.093	130	0.077
118/2	0.049	131	0.315
120	0.227	133	0.036
121/2/क	0.093	134	0.154
83/3	0.153	136	0.073
84/3	0.016	146	0.121
86	0.450	148	0.636
87	0.170	174	0.376
113	0.126	176	0.158
115	0.025	177	0.101
181/2194	0.279	178	0.125
92	0.271	179	0.380
93/1	0.595	180	0.178
94	0.138	135/1	0.101
95	0.117	147/1	0.271
96	0.405	135/2	0.101
194	0.247	147/2	0.272
195	0.174	150	0.190
93/2	0.040	153	0.158
97/1	0.324		

(1)	(2)	(1)	(2)
159	0.405	199	0.150
169/2156	0.065	202	0.146
172	0.117	203	0.085
173	0.332	210	0.219
179/2156	0.065	211	0.210
189	0.210	213	0.089
190	0.134	212	0.109
191	0.182	214/2	0.087
185	0.077	216/2	0.081
184/2157	0.097	260/4	0.025
186	0.085	166/3	0.105
215/2	0.081	197/3	0.032
217	0.061	260/2	0.462
152/2	0.030	152/3	0.030
154/2/4	0.020	154/2/5	0.020
161/3	0.044	161/4	0.044
162/1	0.081	162/2	0.170
166/5	0.021	164	0.020
168/2	0.068	166/6	0.021
197/5	0.033	168/3	0.068
200/3	0.030	197/6	0.032
287	0.028	200/4	0.030
288	0.170	214/3	0.075
435	0.692	260/5	0.098
436	0.367	152/1	0.029
438	0.081	154/2/3	0.021
439	0.204	161/2	0.044
440	0.095	166/4	0.021
442/1	0.186	168/1	0.070
443/1	0.019	197/4	0.033
445/2	0.087	200/2	0.030
442/2	0.186	214/1	0.101
443/2	0.019	215/3	0.056
445/1	0.086	216/1	0.081
442/3	0.187	260/3	0.231
443/3	0.019		योग . . . <u>71.753</u>
445/3	0.043		
444	0.163		
460/1	0.485		
460/2	0.061		
154/2/2	0.061		
166/2	0.021		
167/2	0.200		
196	0.150		
197/2	0.065		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरखी देवी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 31-अ-82-2016-17-2002.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जैतपुर
(ग) ग्राम—कुम्हारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—80.925 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
854	0.198	913	0.081
855	0.077	1036/2	0.162
858	0.384	977/1/ग	0.036
860	0.121	981/2	0.013
861	0.154	991/2	0.154
862	0.020	992	0.036
863	0.032	995	0.073
264	0.065	1006	0.214
988	0.259	1036/3	0.148
989	0.510	1037/1	0.164
865	0.085	1038/1	0.369
866	0.219	1036/4	0.373
867	0.077	1037/2	0.148
1633	0.049	1038/2	0.368
1635/2/ख	0.324	1043/2	0.040
1638	0.121	1042/3	0.682
1641	0.210	1049/4	0.405
1492	0.073	1074/3	0.380
868	0.085	908/1	0.183
898	0.081	908/2	0.064
910/1	0.060	975	0.109
911	0.312	1063/1	0.003
914	0.125	977/1क	0.276
991/4	0.072	979	0.283
1049/2	0.606	980	0.146
1530/2	0.130	981/1	0.100
1531/2	0.435	990/1	0.056
1532/2	0.041	1036/1	0.262
		1530/1	0.485
		1531/1	0.435
		1532/1	0.182
		1094/1	0.607
		977/1/ख	0.149
		991/1	0.184
		1035	0.117
		1744/4क	0.162
		1744/4ख	0.081
		986	0.057
		1499/1	0.291
		987	0.057
		1071/1	0.174
		1075/1	0.137
		1076/1	0.369
		996	0.162

(1)	(2)	(1)	(2)
997	0.113	1518	0.264
998	0.113	1598/2/क/2	0.105
1050	0.170	1600/1/क/2	0.020
1051	0.393	1604/1/ख	0.232
1581/1	0.134	1745/1/ख	0.101
1000	0.142	1732/1	0.202
1040/1	0.124	1732/2	0.202
1042/1	0.606	1487/2/ख	0.156
1049/3	0.106	1044/2/क	0.118
1074/1	0.381	1537	0.085
990/3	0.061	1538	0.097
999/3	0.274	1544	0.085
977/1घ	0.405	1548	0.040
977/2	0.202	1598/2 ख	0.151
1581/4	0.081	1600/1/ख	0.134
982	0.020	1044/2/ख	0.058
984	0.036	1044/2/ग	0.058
983	0.020	1046	0.526
985	0.028	994	0.032
993	0.061	1052/1	0.142
999	0.073	1053/3	0.296
1031	0.182	1005/2	0.040
1088.4/ख	0.101	1005/3	0.097
1545/4	0.045	1501/2	0.377
1490/2	0.061	1521/2	0.065
1490/1739	0.040	1647/1	0.129
1499/2	0.202	1744/2	0.081
1578/2 क	0.072	1001	0.186
1578/2 ख	0.053	1030	0.227
1580/2	0.162	1002	0.182
1043/1	0.069	1003	0.219
1074/2	0.380	1048	0.295
1041	0.206	1004	0.097
1044/1क	0.140	1087	0.275
1052/2	0.267	1005/1	0.081
1053/2	0.101	1005/4	0.162
1044/1/ख	0.188	1647/4	0.130
1487/1	0.162	1086/5	0.151
1504	0.138	1581/5	0.081
1506/2	0.047	1736	0.202
1506/3	0.226	1744/3	0.162
1517	0.069	1028	0.332

(1)	(2)	(1)	(2)
1034	0.105	1088/4/मिन1	0.162
1040/2	0.163	1622	0.096
1042/2	0.529	1635/1771	0.077
1600/2	0.020	1646	0.413
1604/2	0.141	1648	0.380
1487/2 क	0.156	1658	0.174
1745/2	0.202	1077/1	2.946
1061/1ख	0.194	1079	0.170
1062/2	0.890	1605	0.397
1063/2	0.280	1610	0.065
1064/2	0.170	1632	0.206
1614	0.525	1644	0.206
1616	0.243	1645	0.287
1623	0.150	1749	0.445
1065/1	0.093	1080/1	0.005
1067/1	0.413	1081	0.109
1068/1	0.247	1082	0.405
1068/2	0.129	1661	0.367
1066	0.437	1662	0.194
1067/2	0.413	1663	0.206
1065/2	0.097	1664	0.190
1068/2/1	0.053	1080/2	0.153
1068/2/3	0.061	1635/1	0.304
1069/1	0.147	1636/2	0.065
1069/2	0.074	1639	0.291
1069/3	0.074	1653	0.121
1070/1क/1	0.234	1655	0.279
1070/1क/2	0.111	1744/5	0.121
1070/1ख	0.158	1088/2	0.405
1070/2	0.331	1088/3	0.405
1071/1	0.087	1088/4/ख	0.101
1075/2	0.138	1490/2	0.061
1076/2	0.311	1128	0.154
1071/3	0.087	1500/1	0.048
1076/3	0.161	1539	0.049
1072/2	0.045	1500/2	0.356
1072/1	0.044	1542	0.089
1060/5	0.607	1546	0.069
1533	0.793	1519	0.061
1060/6	0.604	1600/1/क/1/1	0.020
1061/2	0.241	1606	0.065
1598/1	0.343	1608	0.150
1088/1	0.405	1609	0.061
		1627/2	0.140

(1)	(2)	(1)	(2)
1630/1	0.259	1510	0.032
1741	0.057	1507/2	0.148
1521/1	0.064	1511	0.066
1732/6	0.202	1512	0.259
1527/2	0.607	1515	0.049
1545/3	0.032	1516/1738	0.049
1078/2	0.044	1513	0.291
1073	0.615	1514	0.198
1078/1	0.125	1516	0.049
1083	0.436	1634	0.259
1084	0.304	1650	0.138
1086	0.251	1652	0.125
1549	0.061	1656	0.162
1491	0.138	1659	0.045
1739	0.063	1598/2क/1	0.343
1501/1	0.376	1600/1/क/1/2	0.061
1581/2	0.000	1745/1/क	0.151
1743/2	0.202	1600/0/2	0.020
1502/1	0.041	1487/1क	0.923
1502/2	0.202	1601	0.125
1503/2	0.192	1603/1/ख	0.081
1505	0.049	1529/1732/5	0.101
1536	0.170	1533/1743	0.243
1541	0.125	1647/3	0.129
1545/2	0.020	1743/4	0.243
1547/2	0.049	1744/6	0.243
1619	0.121	1533/1643/2	0.202
1621	0.028	1743/2	0.202
1629	0.304	1568/1	0.129
1649	0.320	1534/1	0.182
1651	0.109	1580/1	0.105
1631	0.147	1534/2	0.425
1637	0.093	1535	0.134
1640	0.235	1540	0.040
1639/2	0.081	1581/3/क	0.146
1654	0.709	1743/1	0.065
1660	0.367	1543/1	0.091
1672	0.283	1545/1	0.049
1508	0.178	1547/1	0.227
1509	0.077	1489/1	0.139
1569	0.304	1490/1क	0.337
1732/4	0.101		

(1)	(2)	(1)	(2)
1730/1	0.243	1639/1/क	0.025
1543/2	0.091	1607	0.475
1489/2	0.140	1611	0.603
1490/2/ख	0.508	1612	0.077
1730/2	0.243	1618	0.089
1550	0.045	1627/1	0.220
1552	0.351	1630/1	0.661
1743/1/ख	0.016	1642	0.049
1635/2	0.324	1628	0.170
1635/3	0.405	1635/1क	0.161
1643	0.053	1635/2/ख	0.244
1665/1	0.425	1647/2	0.130
1077/2	0.630	1666/2	0.181
1665/2/क	0.809	1729	1.011
1666/1	0.656	1730/1	0.243
1667/1	0.021	1731/1	0.057
1668/1	0.404	1731/2	0.057
1669/1	0.304	1732/3	0.202
1667/2	0.607	1732/5	0.101
1668/2	0.607	1597/1क	0.405
1669/2	0.303	1130	0.231
1077/3	1.312	1507/1	0.212
1665/2ख	0.405	1568/2	0.162
1604/1/क	0.190	1577	0.269
1602/1	0.195	1579	0.097
1603/1क	0.089	1598/2/2	0.353
1617/1	0.227	1743/3	0.202
1624/1	0.020	योग . .	<u>80.925</u>
1625	0.145		
1602/2	0.101	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरखी देवी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.	
1603/2	0.053	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1617/2	0.113		
1624/2	0.166		
1626	0.243		
1602/3	0.101		
1603/3	0.081		
1613	0.146		
1617/3	0.114		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 मार्च 2018

प. क्र. 736-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बंजारी 399
(घ) क्षेत्रफल—0.031 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
443/2	0.014
402	0.012
388	0.005
योग . .	<u>0.031</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

	0.000
योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का कुल योग . .	<u>0.31</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक नहर निर्माण हेतु” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 738-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—हटवा 629
(घ) क्षेत्रफल—0.466 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
87	0.020
69	0.044
70	0.187
80	0.127
योग . .	<u>0.378</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

14	0.088
योग . .	<u>0.088</u>
अ + ब का कुल योग . .	<u>0.466</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक नहर निर्माण हेतु” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 740-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—वदवार-416
(घ) क्षेत्रफल—0.088 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
2981	0.088
योग . .	<u>0.088</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

योग . . 0.000

अ + ब का कुल योग . . 0.088

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 742-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—रकरिया 542
(घ) क्षेत्रफल—0.314 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में.)

(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि
204	0.041
188	0.007
190	0.046
192	0.040
193	0.038
220	0.005
221	0.110
222	0.025
224	0.002
	योग . . 0.314

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

योग . . 0.000

अ + ब का कुल योग . . 0.314

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 744-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बड़ागांव 411
(घ) क्षेत्रफल—0.915 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में.)

(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि
1114	0.150
2308	0.012
1398	0.022
1411	0.022
1392	0.022
1402	0.022
1859	0.041
1857	0.005
1856	0.110
1839	0.195
1844	0.026
1841	0.083
1892	0.127
1894	0.010
	योग . . 0.847

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1842 0.025

1891 0.030

1860 0.013

योग . . 0.068

अ + ब का कुल योग . . 0.915

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक एवं माइनर नहर निर्माण हेतु” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्र. B-1928-दो-2-5-2015.—श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2017 तक दो दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2017 तक, तीन दिवस के शीतकालीन अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 12 फरवरी 2015 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. B-1931-दो-2-114-2017.—श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 5 से 10 मार्च 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1933-दो-2-124-2017.—श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 23 से 28 मार्च 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1710-दो-2-70-2017.—श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 26 से 28 मार्च 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1712-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 7 से 10 मार्च 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1717-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्रृंखला पन्ना को दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के

पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्रृंखला पन्ना को श्रृंखला पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1719-दो-2-33-2017.—डॉ. जे. सी. सुनहरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 19 से 24 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. सी. सुनहरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. जे. सी. सुनहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2730-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 2 से 6 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2732-दो-2-43-2017.—श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 12 से 16 फरवरी 2018 तक पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही

अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. नागपुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2734-दो-2-25-2012.—श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 24 फरवरी 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2736-दो-3-15-2003.—श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 8 से 24 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2738-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 26 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. 2740-दो-2-35-2015.—श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्वीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2742-दो-2-18-2015.—श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 20 से 22 मार्च 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2744-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 19 से 20 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2746-दो-3-32-2006.—श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 19 मार्च 2018 का एक दिन का पूर्व स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 19 से 21 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2748-दो-3-32-2006.—श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 26 एवं 27 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2750-दो-2-25-2012.—श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 28 फरवरी 2018 के अपरान्ह का आधे दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 1 मार्च 2018 स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 28 फरवरी 2018 से 6 मार्च 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2754-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 26 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 फरवरी 2018 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 से 4 मार्च 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2756-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 9 से 10 मार्च 2018 तक दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2758-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2760-दो-2-78-2017.—श्री संजय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 23 से 28 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2762-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री श्रीराम दिनकर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2018 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 214 दिवस (दो सौ चौदह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्री श्रीराम दिनकर, सेवानिवृत्ति : 19-10-1987
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह :
का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-1-2018
3. नियुक्ति दिनांक से : निरंक
दिनांक तक
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 19-10-1987 से : 30 वर्ष, 03 माह,
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 11 दिन.
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : निरंक
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 30=15×15=225 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 225 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाईये:—सेवा के दौरान : वर्ष 1987 से वर्ष

- लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. 1991 तक की अवधि में नियमित अवकाश समर्पण का लाभ नहीं लिया गया.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता : 225 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस ब (एक) 07, दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्र. B-1937-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री अरूण सिंह तोमर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 223 दिवस (दो सौ तेवीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1. श्री अरूण सिंह तोमर, सेवानिवृत्त : 6-11-1985
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ग्वालियर के न्यायालय के
अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर
का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-3-2018
3. नियुक्ति दिनांक 6-11-1985 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 01 वर्ष, 04 माह, 03 दिन.
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 31 वर्ष, 00 माह, 21 दिन.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). : 1×15=15 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से). : 31=15×15=225 दिन
1×7=7 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 247 दिन
8. घटाइये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 15 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 232 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.